[2022] 17 एस. सी. आर. 92

ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन

मुंबई

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2020 की लिखित याचिका (सी) संख्या 755)

26 जुलाई, 2022

[ए. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और

सी. टी. रविकुमार, जे.]

हज से जुड़े मुद्देः

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-ss. 2 (14) , 5 (1) , 12 , 13 -सेवा नियम, 2012 के प्रावधानों का स्थान-आरआर। 2 , 3 , 4 , 7 ,

और 8-याचिकाकर्ता-हज समूह आयोजक (एच. जी. ओ.) और निजी टूर ऑपरेटर (पी. टी. ओ.) हज के लिए हज तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

हज/उमराह की धार्मिक गतिविधि करने के लिए तीर्थयात्रा सेवा कर का भुगतान करने की देयता-याचिकाकर्ताओं की याचिका कि यदि सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान कर योग्य क्षेत्र से बाहर है, तो सेवा कर नहीं लगाया जा सकता है और यह कि शुल्क भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें छूट दी गई है।

कुछ हाजी जो हज समिति के माध्यम से तीर्थयात्रा करते हैं-आयोजितः हज तीर्थयात्रियों को एच. जी. ओ. या पी. टी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा सेवा सेवा कर के लिए कर योग्य है क्योंकि हज तीर्थयात्रियों को सेवा एक कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की जाती है या प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है-जहां तक हज समिति को छूट का संबंध है, हज समिति एक वैधानिक समिति है जिसे हज तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं-लाभ का उद्देश्य हज समिति के मामले में पूरी तरह से अनुपस्थित है-इस प्रकार, हज समिति अपने आप में अलग वर्ग का गठन करती है जो हज तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करने के मामले में एच. जी. ओ. से अलग है-इस वर्गीकरण के लिए एक स्पष्ट अंतर है-एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान किए जाने वाले पैकेज के किसी भी हिस्से में किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से सेवा शामिल नहीं है।

मेगा छूट अधिसूचना के खंड 5 के उप-खंड (बी) को एच. जी. ओ. द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है-खंड 5 के उप-खंड (बी) के तहत छूट सेवा प्रदाता के लिए है-एच. जी. ओ. की धार्मिक समारोहों के वास्तविक संचालन में कोई भूमिका नहीं है जो हज तीर्थयात्रा का एक हिस्सा हैं-एच. जी. ओ. द्वारा हज तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सेवा उन्हें अनुष्ठान/धार्मिक समारोह करने के लिए गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करने के लिए है।

92 ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत का संघ

अन्यथा सऊदी अरब साम्राज्य में-इसलिए, खंड 5 ए के तहत छूट एचजीओ पर लागू नहीं होती है-मेगा छूट अधिसूचना संख्या। 25 2012-एसटी।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 काफी हद तक समान है। पदार्थ। जहाँ तक इस मामले में सेवा प्रदाता के स्थान की बात है

(एच. जी. ओ.) का संबंध है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उन सभी को सेवा कर नियम, 1994 के नियम 4 के तहत पंजीकृत किया जाना है और इसलिए नियम 2 के खंड (एच) के उपखंड (ए) के अनुसार, एच. जी. ओ. का स्थान वह परिसर होगा जिसके लिए पंजीकरण किया गया है।

एच. जी. ओ. को दिया गया। इस तरह के परिसर अनिवार्य रूप से भारत में हैं। यह मानते हुए भी कि खंड (एच) के कोई अन्य उपखंड लागू होते हैं, सेवा प्रदाता का स्थान, इस मामले में, भारत में होगा। जहाँ तक नियम 2 के खंड (i) के तहत सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान का संबंध है, इस मामले में सेवा प्राप्तकर्ता हज तीर्थयात्री है जो स्पष्ट रूप से पंजीकृत नहीं है। अतः खंड (i) के उपखंड (क) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। नियम 2 के खंड (i) के उपखंड (b) में चार श्रेणियां सूचीबद्ध हैं। पहली श्रेणी है -

व्यावसायिक प्रतिष्ठान। दूसरी श्रेणी उन सेवाओं की है जिनका उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अलावा किसी अन्य स्थान पर किया जाता है। तीसरी श्रेणी वह है जहाँ एक से अधिक प्रतिष्ठानों में सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके बावजूद, हज तीर्थयात्रियों के मामले

एच. जी. ओ. के माध्यम से हज यात्रा करना शामिल नहीं होगा।

इन तीन श्रेणियों में। उन पर जो लागू होता है वह चौथी श्रेणी है जो सेवा प्राप्तकर्ता का सामान्य निवास स्थान है। यह वह स्थान नहीं है जहाँ सेवा प्राप्तकर्ता सेवा प्राप्त करता है या सेवा प्रदान की जाती है। यह सेवा प्राप्तकर्ता का सामान्य निवास स्थान है जो इस मामले में कर योग्य क्षेत्र में होगा। जैसा कि नियम 3 में दिया गया है, सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान है। इस मामले में, एच. जी. ओ. से सेवा प्राप्त करने वाले भारतीय निवासी हैं और तदनुसार, भारत में उनका निवास स्थान सेवा के प्रावधान का स्थान होगा। नियम 8 में प्रावधान है कि जहां सेवा प्रदाता के साथ-साथ सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान कर योग्य क्षेत्र में है, वहां सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान है। इसलिए, इस मामले में, स्थान [2022] 17 एस. सी. आर.

प्रदर्शन किया। नियम 4 का खंड (ए) प्रदान की गई सेवाओं पर लागू होता है। माल के संबंध में जो स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा। याचिकाकर्ता नियम 4 के खंड (बी) पर भरोसा कर रहे हैं। नियम 4 के शीर्षक से पता चलता है कि यह प्रदर्शन आधारित सेवाओं पर लागू होता है। एच. जी. ओ. प्रदर्शन आधारित सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।

उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए। इसलिए, नियम 4 का खंड (बी) एच. जी. ओ. पर लागू नहीं होगा। क्या होगा लागू नियम 3 जिसका अर्थ होगा कि सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

नियम 2 (i) (b) (iv) के साथ। इस प्रकार, एच. जी. ओ. द्वारा सेवा प्रदान की जाती है कर योग्य क्षेत्र के भीतर हज तीर्थयात्री। इस तरह से चार्जिंग सेक्शन लागू होगा। [पैरा 40] [131-ए-डी]

1.3 धार्मिक समारोह और धार्मिक कार्य नहीं होते हैं।

नियम 6 द्वारा कवर किया गया। 'समान घटनाएँ' शब्दों का अर्थ एजुस्डेम जेनरिस समझना होगा। इसलिए, हज तीर्थयात्रा एक घटना नहीं हो सकती है। भले ही हम यह मान लें कि हज तीर्थयात्रियों को एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा परिवहन सेवा है, 2012 के नियमों के नियम 9 के आधार पर, सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा। धारा की उप-धारा (10) को देखते हुए

12 आई. जी. एस. टी. अधिनियम के अनुसार, सेवा की आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहाँ से यात्री यात्रा शुरू करेगा। [पारस 41 और 42] [131-एफ-जी]

1.4 नियम 2 के खंड (i) के उपखंड (b) की मद (iv) के अनुसार

2012 के उक्त नियमों के अनुसार, सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में हज तीर्थयात्री का सामान्य निवास स्थान होगा।

इसलिए, हज तीर्थयात्रियों को एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा सेवा कर के लिए कर योग्य है क्योंकि हज तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान की जाती है।

या कर योग्य क्षेत्र में प्रदान करने के लिए सहमत। यह सेवा हज तीर्थ यात्रा पैकेज प्रदान करके या प्रदान करने के लिए सहमत होकर प्रदान की जाती है।

[पैरा 44] [131-जी-एच; 132-ए] ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत का संघ

1.5 जहाँ तक हज तीर्थयात्रा का संबंध है, आई. जी. एस. टी. और जी. एस. टी. अधिनियमों के तहत छूट अधिसूचनाएँ समान हैं।

मेगा छूट अधिसूचना के साथ सामग्री। इसलिए, मेगा छूट अधिसूचना के लिए विज्ञापन देना आवश्यक है। मेगा छूट अधिसूचना में उन सेवाओं की सूची है जिन्हें धारा 66 बी के तहत सेवा कर से छूट दी गई है। प्रत्यक्षतः, खंड 5 ए का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह इन पर लागू होता है - भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सुगम बनाई गई धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में निर्दिष्ट संगठनों द्वारा सेवाएं। निर्दिष्ट किया गया

इसमें संगठनों की केवल दो श्रेणियां हैं। पहला यह है कि कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड, एक सरकार

2002 के उक्त अधिनियम के तहत उत्तराखंड उपक्रम और हज समिति या राज्य समिति। हज समिति हज तीर्थयात्रा के संबंध में सेवाएं प्रदान करती है जिसे सऊदी अरब साम्राज्य के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। [पैरा 46 और 47] [132 - ई-एफ; 133-बी-सी]

1.6 धारा 5 के उपखंड (बी) को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया है कि सेवाओं के संबंध में छूट किसी व्यक्ति द्वारा दी गई है।

किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से। इस प्रकार, यह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो स्वाभाविक रूप से सेवा प्रदाता है। उपखंड

(ख) तब लागू होता है जब सेवा प्रदाता किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। अधिसूचना में यह नहीं कहा गया है कि सेवा प्राप्तकर्ता को धार्मिक समारोह आयोजित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवा को छूट दी गई है। यह केवल किसी भी धार्मिक आचरण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवा को छूट देता है।

समारोह। [पैरा 51] [136-डी]

1.7 उसी मेगा छूट अधिसूचना का खंड 5 ए धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में हज समितियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को छूट प्रदान करता है। इस प्रकार, वही मेगा

छूट अधिसूचना के बीच स्पष्ट अंतर है

' धार्मिक समारोह 'और' धार्मिक तीर्थयात्रा '। हज के रूप में समितियाँ केवल हज तीर्थयात्रा के संबंध में सेवाएं प्रदान करती हैं,

हज समिति के संबंध में खंड 5 ए में निर्दिष्ट धार्मिक तीर्थयात्रा, हज तीर्थयात्रा है। इस प्रकार, मेगा छूट

अधिसूचना उन दो निर्दिष्ट संगठनों को छूट देती है जो धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में सेवा प्रदान करते हैं। खंड 5 ए के तहत यह छूट एच. जी. ओ. पर लागू नहीं होती है क्योंकि एच. जी. ओ. निर्दिष्ट संगठन नहीं हैं। यदि इरादा और उद्देश्य धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सेवा कर में छूट प्रदान करना था, तो अधिसूचना में

विदेश मंत्रालय द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में निर्दिष्ट संगठनों द्वारा प्रदान किया गया एक द्वीपक्षीय व्यवस्था के तहत भारत सरकार। एक छूट

धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में सेवा प्रदान करने वाले किसी अन्य सेवा प्रदाता को प्रदान नहीं किया गया है। जबकि, खंड 5 का उपखंड (बी) किसी भी धार्मिक "समारोह" के संचालन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होता है। धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवा और किसी भी धार्मिक आचरण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवा के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। समारोह। हज तीर्थयात्रियों को एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा उन्हें अनुष्ठान/धार्मिक समारोह करने के लिए गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करने के लिए है। एच. जी. ओ. द्वारा कोई धार्मिक समारोह या संचालन नहीं किया जाता है। धार्मिक समारोह हज तीर्थयात्रियों या सऊदी अरब साम्राज्य में किसी और द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे अनुसार, खंड 5 के उपखंड (बी) में कोई अस्पष्टता नहीं है और इसलिए, मदर सुपीरियर के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण को लागू करने का कोई अवसर नहीं है।

एडोरेशन कॉन्वेंट केस। [पैरा 52] [136-ई-एच; 137-ए-सी]

1.8 निवेदन यह था कि हज तीर्थयात्रा में छह संस्थाएं शामिल हैं जिनमें संबंधित मंत्रालय शामिल हैं।

सऊदी अरब साम्राज्य, भारत सरकार, तवाफा प्रतिष्ठानों, मोलियम ने एच. जी. ओ. और हज तीर्थयात्रियों को मंजूरी दी; कि छूट अधिसूचना के खंड 5 के उप-खंड (बी) में उपयोग किए गए 'व्यक्ति' शब्द में 'व्यक्ति' शब्द का बहुवचन भी शामिल होगा; और यह कि एक हज तीर्थयात्री 'व्यक्ति' की श्रेणी में आएगा। यह निवेदन पूरी तरह से गलत है। खंड 5 में प्रयुक्त 'व्यक्ति' शब्द सेवा प्रदाता को संदर्भित करता है न कि सेवा प्राप्तकर्ता को। यह मानते हुए भी कि कुछ सेवाएं सऊदी अरब साम्राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं, अखिल भारतीय हज उमराह टूर संगठन की सरकार मुंबई v.

भारत, तवाफा प्रतिष्ठान या मावोलिम से लेकर भारत के हज तीर्थयात्रियों तक, यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि वे सेवा कर के भुगतान के अधीन नहीं हैं। एच. जी. ओ. सेवा प्रदाता होने पर सेवा कर लगाया जाता है। असली सवाल यह है कि क्या एच. जी. ओ. प्रस्तुत कर रहे हैं।

किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से सेवा। धार्मिक समारोहों के वास्तविक संचालन में एच. जी. ओ. की कोई भूमिका नहीं है जो हज तीर्थयात्रा का एक हिस्सा हैं। एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है

हवाई आरक्षण प्रदान करके, सऊदी अरब में हज तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करके, सऊदी अरब में रहने के दौरान भोजन की व्यवस्था करके, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करके और सऊदी अरब साम्राज्य में तवाफा प्रतिष्ठान के साथ पंजीकरण की व्यवस्था करके। [पैरा

53] [137 - डी-जी]

1.9 प्रदत्त सेवाओं को विभाजित करने का प्रयास किया गया था।

एच. जी. ओ. द्वारा दो भागों में। पहला भाग हवाई आरक्षण प्रदान करने और विदेशी उपलब्ध कराने के संबंध में प्रदान की गई सेवा का है।

विनिमय करें। यह प्रस्तुत किया गया था कि इन दोनों वस्तुओं पर सेवा कर या जी. एस. टी. देय होगा और प्रदान की जाने वाली शेष सेवाओं के लिए सेवा कर या जी. एस. टी. देय नहीं होगा क्योंकि प्रदान की जाने वाली सेवाएं कर योग्य क्षेत्र के बाहर हैं। एच. जी. ओ. हज यात्रा के संबंध में हज तीर्थयात्रियों को एक ही पैकेज प्रदान करके सेवा प्रदान करते हैं जिसमें कई भाग होते हैं जैसे कि हवाई आरक्षण करना, विदेशी मुद्रा प्रदान करना और हज यात्रा के लिए धन जुटाना।

सऊदी अरब आदि में ठहरने और भोजन की व्यवस्था। एचजीओ

हज से संबंधित सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करना

व्यापक पैकेज का हिस्सा बनने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए अलग से। पैकेज का केवल एक हिस्सा छूट के लिए नहीं उठाया जा सकता है। दी गई किसी विशेष सेवा को भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सेवा कर लगाने के उद्देश्यों के लिए, प्रदान की गई सेवा को इस तरह से विच्छेदित नहीं किया जा सकता है। एच. जी. ओ. द्वारा हज तीर्थयात्रियों को समग्र रूप से प्रदान की गई सेवा इसे ध्यान में रखना होगा। यह इस तथ्य के अलावा है कि एच. जी. ओ. द्वारा पेश किए गए पैकेज के किसी भी हिस्से में सेवा शामिल नहीं है।

किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन का तरीका। इसलिए, मेगा छूट अधिसूचना के खंड 5 के उपखंड (बी) को एच. जी. ओ. द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। के उपखंड (बी) के तहत छूट खंड 5 सेवा प्रदाता के लिए है। [पैरा 54] [137-एच; 138-ए-ई] [2022] 17 एस. सी. आर.

1.10 1 जुलाई 2017 से आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत सेवा कर देय हो गया। यहां तक कि जी. एस. टी. अधिनियम भी उसी तारीख से लागू हुआ। दोनों अधिनियमों के तहत, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर देय है। उप-आई. जी. एस. टी. की धारा 13 की धारा (2) अधिनियम में प्रावधान है कि सेवाओं को छोड़कर सेवाओं की आपूर्ति का स्थान

बोधगम्य भिन्नता जो समूहबद्ध व्यक्तियों को अलग करती है एक साथ उन लोगों से जो छूट गए हैं। इसके अलावा, वर्गीकरण का उन उद्देश्यों के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। जबकि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के संदर्भ में इस प्रश्न की जांच करते हैं, यह ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v होना चाहिए।

याद रखें कि केवल इस आधार पर कि एच. जी. ओ. और हज समिति दोनों एक ही वर्ग के व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, हज समिति को एक अलग श्रेणी के रूप में मानते हुए किया गया वर्गीकरण। वर्ग, सवाल नहीं किया जा सकता है। किसी दिए गए मामले में, सेवा प्रदाताओं के विभिन्न वर्ग सेवा प्राप्तकर्ताओं के एक ही वर्ग को एक ही सेवा प्रदान कर सकते हैं। यह, अपने आप में, भेदभाव के बराबर नहीं है। भेदभाव के आधार पर हमले पर कर योग्य व्यक्तियों, अर्थात् हज समिति और एच. जी. ओ. के संदर्भ में विचार करना होगा। 2002 के उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत, भारतीय हज समिति का गठन किया गया था। इसी तरह, धारा 17 के तहत राज्य हज समितियों का गठन किया गया था। हज समितियों की दोनों श्रेणियां निगमित निकाय हैं।

राज्य हज समितियाँ। धारा 9 में हज समिति के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। [पैरा 57] [139-ई-एच; 140-ए-सी] 1.12 2002 के अधिनियम की धारा 27 के तहत, राज्य समितियों का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित नीतियों और निर्देशों को लागू करें -

हज समिति और निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। हज समिति को सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों पर 2002 के अधिनियम की प्रस्तावना के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य मुसलमानों के लिए व्यवस्था करने के लिए समितियों की स्थापना करना है।

हज यात्रा के लिए। अन्यथा एच. जी. ओ. टूर ऑपरेटर होते हैं जो टूर की व्यवस्था करने का व्यवसाय करते हैं। उन्हें मिल जाता है।

स्वयं एच. जी. ओ. के रूप में पंजीकृत हैं। जैसा कि धारा 2 से देखा जा सकता है, हज समिति के कार्य केवल तीर्थयात्रियों को हज यात्रा करने में सक्षम बनाने की व्यवस्था करने तक ही सीमित नहीं हैं। इसका पहला कर्तव्य संग्रह और प्रसार करना है

संकटग्रस्त तीर्थयात्रियों की सहायता करना समिति का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कर्तव्यों में से एक वार्षिक हज योजना को अंतिम रूप देना है केंद्र सरकार की मंजूरी और उसे निष्पादित करना। हज समिति समिति की कार्यवाही को प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। धारा 30 के तहत, यह [2022] 17 एस. सी. आर. का कर्तव्य है।

केंद्रीय हज कोष बनाने के लिए समिति। इसी तरह, धारा 32 के तहत, राज्य समितियां राज्य हज कोष बनाने के लिए बाध्य हैं। केंद्र सरकार के पास हज समिति का पुनर्गठन करने और समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति है। वहाँ एक है

राज्य समितियों के संबंध में राज्य सरकार में निहित समान शक्ति। इस प्रकार, हज समितियाँ सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाले वैधानिक निकाय हैं। हज समितियाँ राज्य की अभिकरण और साधन हैं। हज यात्रा के उद्देश्यों के लिए हज तीर्थयात्रियों की यात्राओं की व्यवस्था करने के अलावा, हज समिति को सौंपे गए महत्वपूर्ण वैधानिक कर्तव्य हैं जो हमने ऊपर निर्धारित किए हैं। धारा 30 के खंड (बी) के अनुसार, हज तीर्थयात्रा के प्रदर्शन के लिए तीर्थयात्रियों से एकत्र किया गया धन केंद्रीय हज कोष का एक हिस्सा बन जाता है, जिसका उपयोग केवल धारा 31 के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। निधियों का उपयोग केवल अधिकारियों को वेतन और भत्तों के भुगतान के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और

लाभ के उद्देश्य का पूर्ण अभाव है। इसके विपरीत हज समिति को हज तीर्थयात्रियों से प्राप्त धन वैधानिक निधि में जाता है, जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ करना पड़ता है।

हज यात्रियों के लाभ के लिए। यहां तक कि हज समिति का बजट भी केंद्र को प्रस्तुत करना आवश्यक है। सरकार। इस प्रकार, हज समिति पर केंद्र सरकार का व्यापक नियंत्रण है। राज्य समितियों पर राज्य सरकारों का समान नियंत्रण है। दूसरी ओर, एच. जी. ओ. के साथ कोई भारी कर्तव्य नहीं जुड़े होते हैं। वे हज तीर्थयात्रियों की सेवा करके लाभ कमाते हैं। पंजीकरण के लिए सख्त शर्तों को छोड़कर, सरकार का एच. जी. ओ. पर कोई नियंत्रण नहीं है। [पैरा 58] [141-बी-डी; 142-ए-सी]

1.13 हज समिति एक सांविधिक समिति है जिसे हज तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं।

इसके अलावा, हज समिति के मामले में लाभ का उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित है।

हज समिति द्वारा प्राप्त धन ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत का संघ

तीर्थयात्रियों से सेवा प्रदान करने के लिए 2002 के अधिनियम के तहत बनाई गई एक वैधानिक निधि में जाता है जिसका उपयोग केवल 2002 के अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाना है। यही कारण है कि

जब हज तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करने की बात आती है तो हज समिति अपने आप में एक वर्ग का गठन करती है। यह एक अलग वर्ग है जो एच. जी. ओ. से अलग है। इस वर्गीकरण के लिए एक बोधगम्य अंतर है। मेगा छूट अधिसूचना के पैराग्राफ 5 ए में छूट का उद्देश्य धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए सेवा प्रदान करने वाले निर्दिष्ट संगठनों की गतिविधि को बढ़ावा देना है। अधिसूचना में निर्दिष्ट दोनों संगठन वैधानिक संगठन हैं जिन पर सरकार के पास एक प्रभावी नियंत्रण है। इसके अलावा, निर्दिष्ट संगठनों द्वारा भक्तों को दी जाने वाली सेवा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इसलिए, किए गए वर्गीकरण और छूट देकर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच एक संबंध है। [पैरा 60] [143-एच; 144-ए-डी]

फिटमेंट समिति के निर्णय/सिफारिश में एच. जी. ओ. और हज के बीच अंतर करने के वैध कारण शामिल हैं। समितियाँ। [पैरा 62] [144-एफ-जी]

1.15 कर मामलों में छूट देने के मामले में निर्णय लेने के लिए अक्षांश दिया जाना चाहिए। आखिरकार, यह नीति का भी मामला है। हम पहले ही मान चुके हैं कि निर्दिष्ट संगठनों को एक वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने और निजी टूर ऑपरेटरों को खंड 5 ए के तहत छूट से बाहर रखने का एक तर्कसंगत आधार है। इस मामले में न्यायिक आत्मसंयम दिखाया गया है। [पैरा 64] [150-बी]

1.16 भेदभाव पर आधारित तर्कों में कोई सार नहीं है, क्योंकि एच. जी. ओ. और हज समितियाँ बराबर नहीं हैं और वास्तव में, हज समितियाँ अपने आप में एक अलग वर्ग का गठन करती हैं, जो एक तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित है जिसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक संबंध है। इसलिए याचिकाओं में चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। [पारस 65 और 65] [150-सी-डी]

भारत संघ और अन्य। वी. रफीक शेख भीकन और अन्र। (2012) 6 एस. सी. सी. 265; फेडरेशन हज पी. टी. ओ. ऑफ इंडिया बनाम। भारत संघ (2019) 2 स्केल 460: [2019] 2 एससीआर [2022] 17 एस।

627 ; केरल सरकार और अन्र. वी. मदर सुपीरियर एडोरेशन कॉन्वेंट (2021) 5 एससीसी 602; कॉक्स एंड किंग्स

इंडिया लिमिटेड बनाम। सेवा कर आयुक्त, नई दिल्ली 2014 (35) एसटीआर 817; रुस्तम कावासजी कूपर बनाम।

भारत संघ (1970) 1 एससीसी 248: [1970] 3 एस. सी. आर. 530; विशेष न्यायालय विधेयक 1978 (1979) 1 एस. सी. सी. 380: [1979] 2 एससीआर 476; कुन्नतात थातेहुन्नी मूपिल नायर, आदि। केरल राज्य और अन्र। 1961 एयर 552: [1961] 3 एससीआर 77; ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी, आदि। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्र। 1962 एयर 1733: [1963] 1 एससीआर 404; विवियन जोसेफ फेरेरा और एनर। वी. नगरपालिका

ग्रेटर बॉम्बे एंड ओआरएस निगम। 1972 (1) एससीसी 70: [1972] 2 एस. सी. आर. 257; जयपुर होजरी मिल्स (पी) लिमिटेड, जयपुर बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य। (1970) 2 एससीसी 26: [1971] 1 एस. सी. आर. 396; एम. झांगिर भटुशा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1989) पूरक। 2 एससीसी 201: [1989] 3 एससीआर 356; भारत सर्फैक्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (1989) 4 एससीसी 21: [1989] 3 एस. सी. आर. 367; पी. एम. अश्वत्थनारायण सेट्टी और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (1989) पूरक। 1 एस. सी. सी. 696 [1988] 3 एस. सी. आर. सुपल। 155 ; संघवी जीवराज घेवर चंद और अन्य। वी. सचिव, मद्रास चिलीज ग्रेन्स एंड किराना

व्यापारी श्रमिक संघ और ए. एन. आर. ए. आई. आर 1969 एस. सी 530: [1969] 1 एस. सी. आर. 1 366; बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम। बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के कर्मचारी और अन्य। 1994 (2) एल. एल. एन. 1239; भारत संघ और अन्य। वी. बंगाल श्राची हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड और अन्र। (2018) 1 एससीसी 311: [2017] 14 एससीआर 347; आर. सी. जल बनाम भारत संघ (1962) ए. आई. आर. 1281: [1962] 3 पूरक। एस. सी. आर. 436; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड ओआरएस। (2018) 9 एस. सी. सी. 1 [2018] 7 एस. सी. आर. 1191; सीमा शुल्क (निवारक) मुंबई बनाम एम. अंबालाल एंड कंपनी (2011) 2 एससीसी 74: [2010] 15 एससीआर 937; क्विन बनाम। लीथम, 1901 ए. सी. 495 (एच. एल.); उड़ीसा राज्य बनाम। सुधांशु शेखर मिश्रा ए. आई. आर 1968 एस. सी. 647: [1968] 2 एस. सी. आर. 154; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 4 एससीसी

675 : [1981] 1 एससीआर 947; सन एक्सपोर्ट कार्पोरेशन। वी.

कलेक्टर ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत का संघ

सीमा शुल्क, (1997) 6 एस. सी. सी. 564: [1997] 1 पूरक। एससीआर 434 ; ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड ओआरएस।

वी. भारत संघ और अन्य। (2007) 7 एससीसी 527: [2007] 9

एस. सी. आर. 147; एटलस टूर्स एंड ट्रेवल्स प्रा. लिमिटेड वी.

सेवा कर आयुक्त, मुंबई 2015-टी. आई. ओ. एल.-305 सी. ई. एस. टी. ए. टी.-एम. यू. एम.; एस. के. दत्ता, आयकर अधिकारी बनाम।

लॉरेंस सिंह इंग्टी (1968) ए. आई. आर 658: [1968] 2 एससीआर

165- संदर्भित किया गया।

मोरे वी। डाउड [351 यू. एस. 457: 1 एल एड 2 डी 1485 (1957)

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 2 एससीआर 627

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

[1970] 3 एससीआर 530

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[1979] 2 एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[1961] 3 एससीआर 77

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[1963] 1 एससीआर 404

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[1972] 2 एससीआर 257

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[1971] 1 एससीआर 396

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[1989] 3 एससीआर 356

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[1989] 3 एससीआर 367

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[1988] 3 एससीआर एस. पी. एल. 155

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[1969] 1 एससीआर 1 366

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[2017] 14 एससीआर 347

पैरा

30

संदर्भित किया गया है

[1962] 3 पूरक। एससीआर 436

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

[2018] 7 एससीआर 1191

संदर्भित किया गया है

पैरा

48

[1968] 2 एससीआर 154

संदर्भित किया गया है

पैरा

49

[2010] 15 एससीआर 937

संदर्भित किया गया है

पैरा

49

[1981] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा

62

[2022] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) के साथ

याचिका लिखें (ग) सं। 781 , 907 , 772 , 882 , 809 , 940 , 855 , 977 , 856 , 860 , 896 , 989 , 1034 , 1014 , 1329 और 2020 का 1431

अरविंद पी. दातार, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दुरई राज, कोटल हर्षवर्धन, सुश्री रश्मि नंदकुमार, राहुल उन्नीकृष्णन, क्षितिज माहेश्वरी, सुश्री ऐश्वर्या जैन, वाई. अरुणगिरी, सुश्री नवीना, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, शंकर नारायणन, हरीश बीरन, मुश्ताक सलीम, उस्मान गनी खान, अजहर असीस, सुश्री पल्लवी प्रताप, सैयद मरजुक बाफाकी, फैसल एम. अबूबकर, जुल्फिकार अली पी. एस., रजत।

भारद्वाज, पी. सोमा सुंदरम, रोहित अमित स्थालेकर, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

एन. वेंकटरमन, एएसजी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री सोनिया

माथुर, सुश्री आकंशा कौल, वी. चंद्रशेखर बी., एच. आर. राव, दुर्गा दत्त, अमित जे., अशोक कुमार, मानेक सिंह, अमन साहनी, अमरीश कुमार, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

1. रिट याचिकाओं के इस समूह में शामिल व्यापक प्रश्न है -

हज समूह आयोजकों (एच. जी. ओ.) या निजी टूर ऑपरेटरों (पी. टी. ओ.) के दायित्व के बारे में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए

हज यात्रा के लिए हज यात्री।

वास्तविक पहलू

2. हज तीर्थयात्रा भारत से हजारों तीर्थयात्रियों द्वारा या तो भारतीय हज समिति (संक्षेप में, हज) के माध्यम से की जाती है।

समिति ') या एच. जी. ओ. भारत और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच एक द्विपक्षीय संधि है। उक्त द्विपक्षीय व्यवस्था के अनुसार, भारत से हज तीर्थयात्रा केवल हज समिति या एच. जी. ओ. के माध्यम से की जा सकती है।

3. भारत में सेवा कर व्यवस्था इसी वर्ष शुरू की गई थी।

1994 वित्त अधिनियम, 1994 (संक्षेप में 'वित्त अधिनियम') के प्रावधानों के तहत। शुरू में, बहुत कम सेवाओं को सेवा कर के भुगतान के अधीन बनाया गया था। हालाँकि, बाद के वित्त अधिनियमों द्वारा, समय-

समय पर सूची में बड़ी संख्या में सेवाओं को जोड़ा गया। सेवा कर के अधीन सेवाओं की कुल संख्या 100 से अधिक हो गई।

एक नकारात्मक सूची व्यवस्था ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

1 जुलाई 2012 से 2012 के अधिनियम No.23 द्वारा लागू किया गया था। के द्वारा

तदनुसार, सेवा प्रावधान नियम, 2012 (संक्षेप में, '2012 नियम') बनाए गए थे जो 1 जुलाई 2012 से लागू हुए थे। 20 जून 2012 को, मेगा छूट अधिसूचना सं। 25 2012-एसटी (संक्षेप में, 'मेगा छूट अधिसूचना') कई छूटों के साथ जारी की गई थी। मेगा छूट अधिसूचना के पैराग्राफ 5 (बी) में किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा सेवाओं पर छूट प्रदान की गई है। मेगा छूट अधिसूचना के पैराग्राफ 5 ए में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में निर्दिष्ट संगठनों द्वारा सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। मेगा छूट अधिसूचना निर्दिष्ट परिभाषित करती है। कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम और हज समिति अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, '2002 अधिनियम') की धारा 2 में परिभाषित समिति या राज्य समिति के रूप में संगठन। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में, 'आई. जी. एस. टी. अधिनियम') के प्रावधानों के तहत 1 जुलाई, 2017 से यही सेवा कर व्यवस्था जारी रही। समान छूट

अधिसूचना दिनांक 28 जून 2017 (संक्षेप में, 'आई. जी. एस. टी. छूट') अधिसूचना ') आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करके जारी की गई थी। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में, 'जी. एस. टी. अधिनियम') के तहत उसी तारीख (संक्षेप में, 'जी. एस. टी. छूट अधिसूचना') को समान छूट अधिसूचना भी जारी की गई थी।

4. कुछ एच. जी. ओ. और पी. टी. ओ. ने हज के संबंध में सेवा पर सेवा कर लगाने को चुनौती देने के लिए इस अदालत में याचिकाएं दायर कीं।

तीर्थयात्रा। 2014 की रिट याचिका (सी) No.977 में पारित 11 दिसंबर 2019 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को एक सेवा कर से छूट देने के लिए भारत सरकार को प्रतिनिधित्व। तदनुसार, 19 दिसंबर 2019 को कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा एक विस्तृत अभ्यावेदन किया गया था। जी. एस. टी. परिषद ने 14 मार्च 2020 के आदेश द्वारा [2022] 17 एस. सी. आर. के आधार पर प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका, अर्थात 2020 की रिट याचिका (सी) No.1329, एक व्यक्तिगत याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है जो हज तीर्थयात्रा करना चाहता है। अधिकांश याचिकाएँ अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले उपरोक्त आदेशों को चुनौती देती हैं। कुछ याचिकाओं में, एक घोषणा का दावा किया गया है कि सेवा कर से संबंधित कानूनों के प्रावधान हज/उमराह की धार्मिक गतिविधि करने के लिए हजियों को एच. जी. ओ. और पी. टी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं। कुछ याचिकाओं में 2012 के नियमों के नियम 8 और 14 की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि, वैधता के मुद्दे पर प्रस्तुतियों का प्रचार नहीं किया गया है।

6. 2020 की रिट याचिका (सी) Nos.755,856 और 896 में जवाबी हलफनामे दायर किए गए हैं, जिन्हें 2020 में सामान्य हलफनामे के रूप में माना गया है।

याचिकाओं का यह समूह।

7. इस स्तर पर, हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि याचिकाओं के इस समूह में, हम अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन के मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं सेवा कर व्यवस्था, जैसा कि उक्त मुद्दा एक अन्य पीठ के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँ

दूसरा, उन्होंने बताया कि पैराग्राफ 5 ए के तहत, धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में निर्दिष्ट संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छूट दी गई है, जिसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत सुविधा प्रदान की गई है। वह. उन्होंने बताया कि आई. जी. एस. टी. छूट अधिसूचना के पैराग्राफ 14 और 63 में इसी तरह की भाषा का उपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत दो तीर्थयात्राएं कैलाश मानसरोवर यात्रा और हज तीर्थयात्रा हैं। उन्होंने दोनों अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट संगठनों की परिभाषाओं की ओर भी इशारा किया, जिसका अर्थ है हज तीर्थयात्रा के संबंध में समिति या राज्य समितियां, जैसा कि धारा 2 अखिल भारतीय हज उमराह पर्यटन संगठन मुंबई v के तहत परिभाषित किया गया है।

भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

मक्का में अपने आगमन से ही एक हज तीर्थयात्री द्वारा की गई यात्रा और हज तीर्थयात्रियों के कर्तव्य। उन्होंने प्रस्तुत किया कि छूट अधिसूचनाओं के पैराग्राफ 5 (बी) के तहत, किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा सेवा को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं है इस बात पर विवाद है कि पैराग्राफ 5 (बी) में धार्मिक समारोह में हज समारोह शामिल होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजस्व द्वारा पैराग्राफ 5 (बी) की गलत व्याख्या करने की मांग की गई है, यह तर्क देते हुए कि यह केवल सेवा प्रदाता पर लागू होता है जो स्वयं धार्मिक समारोह करता है और इसलिए, छूट एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वे स्वयं हज समारोह नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा कर का बोझ हज तीर्थयात्रियों पर पड़ता है, इसलिए सेवा कर या आई. जी. एस. टी. के तहत छूट देने का उद्देश्य हज तीर्थयात्रियों पर वित्तीय बोझ को कम करना है।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि पहले, उद्देश्य

हज समारोह करने के लिए गरीब मुसलमानों की मदद करने के लिए हज सब्सिडी देने की कोशिश की गई थी। हालाँकि, यह न्यायालय, भारत संघ और अन्य के मामले में। वी. रफीक शेख भिकन और Anr.[1] ने माना कि इस तरह की सब्सिडी का अनुदान इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि

इस्लाम हज तीर्थयात्रियों से अपने ऋण का भुगतान करने के बाद और अपने परिवारों के लाभ के लिए एक प्रावधान करने के बाद अपने स्वयं के धन से हज समारोह करने की अपेक्षा करता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी इस पर भरोसा किया

इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 4 फरवरी 2019 को 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 4 (फेडरेशन हज पीटीओ ऑफ इंडिया बनाम. भारत संघ)। उन्होंने बताया कि एच. जी. ओ. और पी. टी. ओ. द्वारा निभाई गई भूमिका अद्वितीय है, जिसे उपरोक्त दोनों निर्णयों में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्णयों में कहा गया है कि एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. तीर्थयात्रियों के लिए टूर ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हैं, विभिन्न स्थानों से यात्रा की शुरुआत से ही एक पूरा पैकेज प्रदान करते हैं। भारत में सऊदी अरब के स्थान, सऊदी अरब में रहने की उनकी व्यवस्था, हज समारोह का प्रदर्शन और भारत में सुरक्षित वापसी। उन्होंने बताया कि अधिकांश हज तीर्थयात्रियों की देखभाल हज समिति द्वारा की जाती है और केवल सीमित संख्या में तीर्थयात्री ही एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. के माध्यम से हज यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. द्वारा प्रदान किए गए पैकेज की लागत में भारत से सऊदी के लिए हवाई किराया शामिल है।

अरबिया। उन्होंने हज के महत्व और विवरण की ओर भी इशारा किया।

1 2012 (6) एस. सी. सी 265 [2022] 17 एस. सी. आर.

तीर्थयात्रा। उन्होंने बताया कि रमजान के बाद की जाने वाली तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और अलग-अलग समय पर की जाने वाली तीर्थयात्रा को उमराह कहा जाता है। रफीक शेख भीकान 1 के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए उन्होंने बताया कि हज का पांच दिवसीय कार्यक्रम

समारोह एक अत्यंत कठोर प्रक्रिया है जिसे सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

इसका पालन कठोर तरीके से और एक समयबद्ध अनुसूची के अनुसार किया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर सख्त प्रक्रिया और समय अनुसूची का पालन नहीं किया जाता है तो तीर्थयात्री हज खो देता है।

10. विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि कई व्यक्ति /

एजेंसियां हज धार्मिक समारोह में शामिल होती हैं, जैसे कि सऊदी अरब साम्राज्य के हज मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, तवाफा प्रतिष्ठान, माओलिम, अनुमोदित एच. जी. ओ. और अंत में स्वयं हज तीर्थयात्री। इसलिए, वह प्रस्तुत करेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक समारोह के माध्यम से सेवा

छूट अधिसूचना में उल्लिखित 'व्यक्ति' शब्द की ठीक से व्याख्या इस अर्थ में की जानी चाहिए कि इसमें हज तीर्थयात्रियों सहित ऊपर बताए गए व्यक्ति भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सभी हज तीर्थयात्रियों को तवाफा प्रतिष्ठानों के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एच. जी. ओ. हवाई जहाज की बुकिंग और धन विनिमय की व्यवस्था करते हैं जिस पर सेवा कर/जी. एस. टी. का विधिवत भुगतान किया जाता है। हालांकि एच. जी. ओ. सऊदी अरब में हज तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करते हैं, जैसे ही वे सऊदी अरब में उतरते हैं, उनकी पूरी आवाजाही तवाफा प्रतिष्ठानों द्वारा नियंत्रित की जाती है। मावोलिम, जो तवाफा प्रतिष्ठानों के एजेंट हैं, उनकी आवाजाही को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि छूट अधिसूचना हवाई यात्रा और विदेशी मुद्रा सेवाओं को छोड़कर हज समारोह के संचालन के लिए लागू होगी। उनका निवेदन है कि शेष राशि हज समारोह के संचालन के लिए सेवाओं के लिए एक विचार है और इसलिए उक्त राशि को सेवा कर/आई. जी. एस. टी. के भुगतान से छूट दी गई है। इस प्रकार, मेगा छूट अधिसूचना के पैराग्राफ 5 (बी) और आई. जी. एस. टी. छूट अधिसूचना के संबंधित पैराग्राफ 14 ए के तहत, एच. जी. ओ. उपरोक्त अवशिष्ट राशि पर छूट के हकदार हैं।

11. उन्होंने कहा कि छूट अधिसूचना के लाभकारी उद्देश्य को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फायदेमंद छूट आम तौर पर कर कानूनों में दी गई छूट से अलग होती है। इस पहलू पर, उन्होंने मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

केरल सरकार और अन्र. वी. मदर सुपीरियर एडोरेशन कॉन्वेंट 2।

22021 (5) एस. सी. सी. 602 ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

भारत सरकार और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच द्विपक्षीय समझौते को हर साल लागू किया जाता है। हज यात्रियों का एक विशिष्ट कोटा यह सऊदी अरब साम्राज्य द्वारा द्विपक्षीय समझौते के तहत सौंपा गया है। उक्त कोटे में से 70 प्रतिशत आम तौर पर हज समिति को आवंटित किया जाता है और 30 प्रतिशत स्वीकृत एच. जी. ओ. को आवंटित किया जाता है। हज समिति के माध्यम से चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने बताया कि कोई अंतर नहीं है

हज समिति के माध्यम से हज समारोह करने वाले उन हज तीर्थयात्रियों को छूट देने का कार्य लेकिन एच. जी. ओ. के माध्यम से हज समारोह करने वाले हज तीर्थयात्रियों को छूट देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण है। 13. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि सऊदी अरब राज्य में पहुंचने पर हज तीर्थयात्रियों की दोनों श्रेणियों की निगरानी तवाफा प्रतिष्ठानों द्वारा की जाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजस्व उपरोक्त अवैध वर्गीकरण का समर्थन करने के लिए 2002 के अधिनियम की धारा 9 पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि धारा 9 के कुछ खंडों द्वारा हज समितियों पर डाला गया दायित्व भी मान्यता प्राप्त एच. जी. ओ. के दायित्व हैं। उन्होंने कहा कि हज समिति और एच. जी. ओ. के बीच इस आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता है कि हज समिति राज्य की एक एजेंसी और साधन है। इसका कारण यह है कि सरकार एच. जी. ओ. पर कुछ नियंत्रण रखती है।

14. उन्होंने कहा कि 2012 के नियमों के प्रावधान वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने नियमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

2 और 2012 के नियमों के 3। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हज तीर्थयात्रा के लिए, सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान हमेशा सऊदी साम्राज्य होगा।

अरब, धार्मिक समारोह के संचालन के लिए तीर्थयात्री की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सेवा प्रदाता के स्थान और सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान पर जोर दिया जाता है।

प्रस्तुत किया कि सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान वह स्थान होना चाहिए जहाँ सेवा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि राजस्व गलती से सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों के निवास को भारत में उनके संबंधित स्थानों के रूप में समान करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने 2012 के नियमों के नियम 8 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हज तीर्थयात्रा के मामले में सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान 2012 के नियमों के नियम 2 के अनुसार सऊदी अरब का राज्य है और हमेशा रहेगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड ओआरएस के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। वी. भारत संघ और अन्य 3. उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा कर व्यवसाय पर कोई शुल्क नहीं है और इसलिए यह केवल देश के भीतर प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर ही लगाया जाता है।

15. उन्होंने कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड बनाम के मामले में सी. ई. एस. टी. ए. टी. के निर्णय पर भरोसा किया। सेवा कर आयुक्त, नई दिल्ली। वह.

प्रस्तुत किया कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने माना है कि विदेशों में जाने वाले दौरे सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि एटलस टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट के मामले में सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। लिमिटेड वी.

नियम लागू होंगे, जो सेवाओं के प्रावधान के स्थान से संबंधित हैं। घटनाओं से संबंधित। उन्होंने आग्रह किया कि यदि सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान कर योग्य क्षेत्र से बाहर है, तो सेवा कर नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने जी. एस. टी. अधिनियम और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 12 और 13 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आग्रह किया कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम के उक्त प्रावधान 2012 के नियमों के समान हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (बी) पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रावधान राज्य को भारत के क्षेत्र के बाहर वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर जी. एस. टी. लगाने से रोकता है; इसलिए, आई. जी. एस. टी. अधिनियम/जी. एस. टी. अधिनियम हज तीर्थयात्रा पर लागू नहीं होगा। इसलिए, वह प्रस्तुत करेगा कि निर्णय

कुछ एच. जी. ओ. के प्रतिनिधित्व पर किया गया गलत है।

17. कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि हजारों हज तीर्थयात्रियों द्वारा या तो हज के माध्यम से हज यात्रा की जाती है

3 2007 (7) एससीसी 527

42014 (35) एस. टी. आर. 817 5 2015-टी. आई. ओ. एल.-सी. ई. एस. टी. ए. टी.-एम. यू. एम. ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई बनाम।

भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

समितियाँ या एच. जी. ओ. के माध्यम से, समान हैं, और उनके बीच कोई अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि 2002 के अधिनियम में धारा 2 (च) के तहत 'तीर्थयात्री' को हज जाने या वहां से लौटने वाले मुसलमान के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय तीर्थयात्री दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत निर्धारित जनादेश का पालन किए बिना हज यात्रा नहीं कर सकता है। इसलिए, ऐसी तीर्थयात्रा केवल हज समिति या एच. जी. ओ. के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व ने

यह स्वीकार किया कि हज समिति, साथ ही एच. जी. ओ., हज तीर्थयात्रियों को समान सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने लिखित प्रस्तुतियों के साथ संलग्न एक चार्ट पर भरोसा किया, जो दर्शाता है कि हज समिति और एच. जी. ओ. द्वारा ली जाने वाली कीमतों के साथ दी जाने वाली सेवाएं लगभग समान हैं। कीमतों में अंतर इसलिए है क्योंकि हज समिति काबा से दूर एक स्थान पर भोजन की सुविधा के बिना आवास प्रदान करती है, जबकि एच. जी. ओ. काबा के पास एक स्थान पर पांच से दस दिनों के लिए भोजन के साथ आवास प्रदान करते हैं।

18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने आग्रह किया कि हज समिति केवल इसलिए एक वर्ग का गठन नहीं कर सकती क्योंकि इसे विभिन्न प्रावधानों और छूट अधिसूचनाओं के तहत एक निर्दिष्ट संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि एच. जी. ओ. को सभी में हज समितियों के रूप में समान रूप से रखा गया है

सम्मान करते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने एस. के. दत्ता, आयकर अधिकारी बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। लॉरेंस सिंह इंग्टी। उन्होंने बताया कि यह न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा है जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को आयकर अधिनियम, 1922 के तहत कुछ छूट देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अन्य लोगों के बीच किया जाने वाला अंतर काल्पनिक नहीं है और इसे तर्कसंगत आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय ने कहा कि जब कर कानून असमान रूप से काम करता है और जिसे किसी भी उचित वर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है, तो कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा।

19. उन्होंने कहा कि राजस्व इस बहाने से इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है कि एच. जी. ओ. लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त तर्क को इस न्यायालय द्वारा रफीक शेख भीकन 1 के मामले में पैराग्राफ 11 और 12 में पहले ही नकार दिया जा चुका है।

20. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि केवल वे लोग जिनका चयन हज समिति द्वारा निकाली गई लॉटरी में नहीं किया गया है, उन्हें करना होगा 61968 (2) एससीआर 165 [2022] 17 एससीआर

एच. जी. ओ. में जाएँ। इसलिए, उन लोगों पर सेवा कर लगाने का कार्य जो एच. जी. ओ. से गुजरने के लिए मजबूर हैं, अत्यधिक भेदभावपूर्ण है।

21. उन्होंने 14 मार्च को हुई जी. एस. टी. परिषद की बैठक में फिटमेंट समिति की सिफारिशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

2020. इसमें निर्धारित पहला कारण यह है कि यदि धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए छूट की अनुमति दी जाती है, तो कई अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को धार्मिक तीर्थयात्रा माना जा सकता है। दूसरा, सभी धार्मिक तीर्थयात्राओं पर कर लगाया जाता है, सिवाय उन पर्यटनों के जो भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि फिटमेंट समिति द्वारा किया गया यह भेद पूरी तरह से गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह के मामले में, राज्य के लिए राज्य अधिनियम के उद्देश्य को सही ठहराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून के प्रभाव को भी उचित ठहराना पर्याप्त है। उन्होंने रुस्तम कावासजी कूपर बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। भारत संघ '। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया अर्थात विशेष न्यायालय विधेयक 1978 3, कुन्नथट थातेहुन्नी मूपिल नायर आदि। केरल राज्य और अन्र '। , ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी, आदि। आंध्र प्रदेश राज्य और Anr.¹0 10, विवियन जोसेफ फेरेरा और अन्र। वी. ग्रेटर का नगर निगम

बॉम्बे एंड Ors.¹¹ और जयपुर होजरी मिल्स (पी) लिमिटेड, जयपुर बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य 1 2. उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजस्व द्वारा जिस दायित्व का निर्वहन किया जाना आवश्यक था, उसे वर्तमान में पूरा नहीं किया गया है।

मामला।

22. 2020 की रिट याचिका (सी) No.1329 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता हज के लिए एक संभावित तीर्थयात्री है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के अलावा भारत का संविधान, एच. जी. ओ. पर सेवा कर और जी. एस. टी. लगाने की भारत सरकार की कार्रवाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है। भेदभाव के मुद्दे पर उनकी प्रस्तुतियाँ वही हैं जो अन्य याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई थीं।

23. 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 772 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा बहुत दूर है।

71970 (1) एस. सी. सी. 248 8 1979 (1) एस. सी. सी. 380 9 1961 (3) एस. सी. आर. 77 10 1 0 1963 (1) एस. सी. आर. 404 11 1 1 1972 (1) एस. सी. सी. 70 12 1970 (2) एस. सी. सी. 26 ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई बनाम।

भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

यह हज समितियों द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों से बेहतर है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करने के अलावा, उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में उच्च न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के फैसलों पर भरोसा किया कि एच. जी. ओ. द्वारा हज तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सेवा कर योग्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण, यह सेवा कर के लिए कर योग्य नहीं है।

राजस्व की प्रस्तुतियाँ

24. शुरुआत में, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री एन. वेंकटरमन ने बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सेवा कर कानूनों के अतिरिक्त-क्षेत्रीय अनुप्रयोग के मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह दूसरी पीठ के समक्ष लंबित अन्य मामलों में चुनौती का विषय है। 25. विद्वान ए. एस. जी. ने 1 जुलाई 2012 से पहले सेवा कर को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था की प्रकृति की ओर इशारा किया। इसके बाद, उन्होंने 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2017 के बीच की अवधि के लिए लागू कानून की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 2012 के प्रासंगिक प्रावधानों की ओर इशारा किया।

नियम। उन्होंने नियम 2 (एच) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि जहां तक एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. का संबंध है, वे भारत के भीतर स्थित हैं। नियम 2 (i) में 'सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान' की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि खंड (बी) के उपखंड (iv) के आधार पर, सेवा प्राप्तकर्ता के मामले में जो एक व्यक्तिगत हज तीर्थयात्री है, उसका स्थान निम्नलिखित होगाः भारत। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सी. ई. एस. टी. ए. टी. के जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे 1 जुलाई 2012 से पहले की अवधि के लिए हैं, जब पहले सेवा कर व्यवस्था अस्तित्व में थी। उन्होंने कहा कि चूंकि हज तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सेवा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66-बी के तहत नकारात्मक सूची का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह 1 जुलाई 2012 से कर योग्य है।

26. 1 जुलाई 2017 के बाद की अवधि के लिए, उन्होंने इस पर भरोसा किया

आई. जी. एस. टी. की धारा 12 (2), जो 'सेवाओं की आपूर्ति के स्थान' को परिभाषित करती है और धारा 12 (9), जो यात्री की आपूर्ति के स्थान को परिभाषित करती है।

परिवहन सेवा '। उन्होंने कहा कि यदि सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों भारत के भीतर हैं, तो लेनदेन कर योग्य हो जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन मामलों में सेवा का अनुबंध भारत में किया जाता है और एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. को भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक भाग के रूप में हज तीर्थयात्रियों द्वारा उपभोग की जाने वाली विभिन्न सेवाएं भारत के बाहर उनकी तीर्थयात्रा, भारत में एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. के साथ अनुबंधित सेवाओं का एक समूह है और भारत में सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। एच. जी. ओ./पी. टी. ओ., इसके बाद, भारत के बाहर सेवा प्रदाताओं के साथ अलग-अलग जुड़ाव कर सकते हैं, जिनसे हज [2022] 17 एस. सी. आर.

तीर्थयात्रियों को सेवाएँ मिलती हैं। एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. द्वारा भारत के बाहर सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अनुबंध, हज तीर्थयात्रियों के साथ अनुबंध नहीं हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाओं के इस समूह में, कोई भी वैधानिक नहीं प्रावधानों को चुनौती दी गई है।

27. उन्होंने आग्रह किया कि हज तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा करना एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. द्वारा की जाने वाली एक व्यावसायिक गतिविधि है और उक्त गतिविधि धार्मिक नहीं है।

समारोह, जिसके लिए छूट अधिसूचना में छूट प्रदान की गई है। विद्वान ए. एस. जी. ने कहा कि भारत के भीतर और बाहर विभिन्न धर्मों की धार्मिक तीर्थयात्राओं का संचालन करने वाले टूर ऑपरेटरों पर आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर लगाया जाता है। उन्होंने चार धाम यात्रा, नेपाल और जापान में बौद्ध मंदिरों की यात्राओं आदि का उदाहरण दिया।

28. मेगा छूट अधिसूचना के पैराग्राफ 5 (बी) पर आधारित तर्कों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त प्रावधान

समारोह। हज तीर्थयात्रियों को हज यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए यात्रा, आवास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कोई छूट नहीं दी गई है। यह छूट केवल धार्मिक सुविधा के लिए निर्दिष्ट संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए है। तीर्थयात्रा।

29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के तर्क पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि हज समिति के माध्यम से हज यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का वर्गीकरण और पी. टी. ओ. के माध्यम से यात्रा करने वालों का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि

जिस वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध रखने की मांग की गई है, वह बोधगम्य अंतर है

के तहत भारत सरकार द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा द्वैपाक्षिक व्यवस्था भेदभावपूर्ण नहीं है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि हज ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

समिति अपने आप में एक वर्ग का गठन करती है, जिसे एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. के समान नहीं माना जा सकता है, हालांकि उन सभी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं समान हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि हज समिति का गठन 2002 के अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया था और धारा 17 के तहत राज्य हज समितियों का गठन किया गया था। धारा 3 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए, हज समिति एक निगमित निकाय है जिसका स्थायी उत्तराधिकार है और

आम मुहर। धारा 9 द्वारा हज समिति पर विभिन्न वैधानिक कर्तव्य लगाए गए हैं। केंद्र सरकार से बजट अनुमानों को मंजूरी लेने की बाध्यता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक ही गतिविधि करने वाले व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा सकता है और समान नहीं। उन्होंने एम. झांगिर भटुशा और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। वी. भारत संघ & Ors.[13] 13, भारत

सर्फैक्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्र। वी. भारत संघ और Anr.[1]4, पी. एम. अश्वथनारायण सेट्टी और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और Ors.[1], संघवी जीवराज घेवर चंद और अन्य। वी. सचिव, मद्रास चिलीज ग्रेन्स एंड किराना मर्चेंट्स वर्कर्स यूनियन और बैंगलोर

जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड v. बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के कर्मचारी और अन्य 1.

30. उन्होंने यह भी कहा कि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए उक्त कर सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदाता को दिया जा सकता है। प्राप्तकर्ता। उन्होंने बताया कि सेवा पर कर होने के नाते, यह सेवा प्रदाता पर प्रत्यक्ष कर नहीं है, बल्कि यह मूल्य वर्धित कर है।

सेवा के माध्यम से की गई गतिविधि पर उपभोग कर। उन्होंने भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। वी. बंगाल श्रची हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड और Anr.[1]8 और आर. सी. जल बनाम। भारत संघ "। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्गीकरण परीक्षण सेवा प्रदाताओं, अर्थात् हज समिति और एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, न कि सेवा प्राप्तकर्ताओं के संदर्भ में। संक्षेप में, उन्होंने कहा कि हज समिति और एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. अलग-अलग वर्गों से संबंधित हैं।

31. 2012 के नियमों की ओर लौटते हुए, उन्होंने कहा कि यदि दो प्रतिस्पर्धी नियम लेन-देन को कवर करते प्रतीत होते हैं, तो टाई-ब्रेकर प्रदान किया जाता है। 1 3 1989 पूरक। (2) एससीसी 201 14 1989 (4) एससीसी 21

1 71994 (2) एलएलएन 1239 18 2018 (1) एससीसी 311 1 9 1962 पूरक।

नियम 14 तस्वीर में आता है, जो यह बताता है कि निर्धारण उस नियम के अनुसार होना चाहिए जो बाद में उन नियमों के बीच आता है जो विचार के योग्य हैं। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि नियम 8 लागू होगा, जो सेवा को कर योग्य बनाता है। जहां तक आई. जी. एस. टी. अधिनियम का संबंध है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब धारा 12 लागू होती है, तो धारा 13 की प्रयोज्यता पूरी तरह से बाहर हो जाती है और इसलिए, धारा 13 की उप-धारा (3) के खंड (बी) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

याचिकाकर्ताओं द्वारा सहयोग

32. इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार ने कहा कि वर्तमान मामले में नियम 8 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का परीक्षण निर्धारित किया गया है

केरल सरकार और ए. एन. आर. के मामले में इस न्यायालय द्वारा। वी. मदर सुपीरियर एडोरेशन कॉन्वेंट के लिए आवेदन करना होगा। छूट प्रावधान की व्याख्या करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्णय एम. झांगिर भतुशा और Ors.[13] के मामले में राजस्व द्वारा किए गए निर्णयों पर निर्भर हैं।

यह मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें इस न्यायालय ने राज्य व्यापार निगम और निजी आयातकों के साथ किए गए अलग व्यवहार को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि सरकार के संतुष्ट होने के बाद अलग-अलग छूट दी गई थी कि लोक हित में उसमें निर्धारित असाधारण परिस्थितियों पर विचार करते हुए एक विशेष छूट आदेश पारित करना आवश्यक था।

प्रस्तुतियों का समावेश

33. सेवा कर को वित्त अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था। वित्त अधिनियम में विभिन्न सेवाओं को शामिल किया गया था जिन्हें विषय बनाया गया था

सेवा कर का भुगतान करना। इन सेवाओं की गणना वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड 105 में की गई थी।

34. सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो सेवा प्रदाता पर लगाया जाता है जो कर योग्य व्यक्ति है। सेवा कर सेवा पर एक कर है।

प्रस्तुत किया गया। यह सेवा प्रदाता पर प्रत्यक्ष कर नहीं है, बल्कि सेवा के माध्यम से गतिविधि पर एक मूल्य वर्धित कर है। सेवा प्रदाता सेवा कर के भुगतान का भार सेवा प्राप्तकर्ता पर डाल सकता है। इस समूह में याचिकाओं के मामले में, हम नकारात्मक सेवा कर व्यवस्था से चिंतित हैं, जिसे 1 जुलाई 2012 से निगमन द्वारा लागू किया गया था।

वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 66 बी और 66 सी। जब यह व्यवस्था 1 जुलाई 2012 से लागू की गई थी, तब वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड 105 में 100 से अधिक विशिष्ट सेवाओं को शामिल किया गया था। धारा 66 बी ने अखिल भारतीय हज उमराह टूर संगठन मुंबई v को प्रदान करके एक नकारात्मक सेवा कर व्यवस्था शुरू की।

वह कर नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा अन्य सभी सेवाओं के मूल्य पर लगाया जाएगा। धारा 66 बी प्रभार अनुभाग है। सुविधा के लिए, हम धारा 66 बी को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार हैः

" धारा 66 ख। सेवा कर का प्रभार उस पर और उसके बाद

वित्त अधिनियम, 2012। — एक कर लगाया जाएगा (इसके बाद)

सेवा कर के रूप में संदर्भित) चौदह प्रतिशत की दर से

उन सेवाओं के अलावा अन्य सभी सेवाओं के मूल्य पर नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट, प्रदान किया गया या होने के लिए सहमत

कर योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान किया गया

और ऐसी रीति से एकत्र किया जाता है जो विहित की जाए।

(जोर दिया गया)

35. इस प्रकार, सेवा कर इसके अलावा अन्य सभी सेवाओं पर देय है।

एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमत नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट। कर योग्य क्षेत्र को वित्त अधिनियम की धारा 65 बी के खंड 52 में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है वह क्षेत्र जिसमें वित्त अधिनियम की धारा 64 से 114 वाले प्रासंगिक अध्याय 'सेवा कर-सांविधिक प्रावधान' के प्रावधान लागू होते हैं। वित्त अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि प्रासंगिक अध्याय जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। 30 जून, 2017 तक संचालित नकारात्मक सूची व्यवस्था के तहत, कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया जाता था। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत। धारा 66°सी केंद्र सरकार को उस स्थान के निर्धारण के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है जहां ऐसी सेवाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की गई हैं या प्रदान करने के लिए सहमत हैं या प्रदान करने के लिए सहमत हैं। वित्त अधिनियम की धारा 66 सी के तहत शक्ति का प्रयोग करके, 2012 के नियमों को अधिनियमित किया गया और 1 जुलाई 2012 से प्रभावी किया गया।

36. इन याचिकाओं में हम एच. जी. ओ. या पी. टी. ओ. से संबंधित हैं। यह.

इसलिए, एच. जी. ओ./पी. टी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को समझना आवश्यक है। हज तीर्थयात्रा मक्का और सऊदी अरब में आस-पास के पवित्र स्थानों की पाँच दिवसीय धार्मिक तीर्थयात्रा है। पवित्र कुरान के अनुसार, सभी मुसलमान जो शारीरिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं, उन्हें अपने जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करनी चाहिए। जैसा कि पवित्र कुरान में प्रदान किया गया है, हज तीर्थयात्रा इस्लाम के पांच स्तंभों या कर्तव्यों में से एक है। हज साल में केवल एक बार इस्लामी चंद्र [2022] 17 एस. सी. आर. के बारहवें और अंतिम महीने में होता है।

37. भारत के हज तीर्थयात्रियों को हज यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए, सऊदी अरब साम्राज्य और भारत सरकार के बीच हर साल एक द्विपक्षीय समझौता होता है। द्वैपाक्षिक के अनुसार समझौता, तीर्थयात्रियों की संख्या का एक कोटा भारत को सौंपा गया है। उक्त कोटे में से, आम तौर पर केवल 30 प्रतिशत एच. जी. ओ. को आवंटित किया जाता है। शेष कोटा हज समिति को उपलब्ध कराया जाता है।

38. एच. जी. ओ. हज तीर्थयात्रियों को उड़ान टिकट खरीदकर, व्यवस्था करके और सऊदी में आवास के लिए भुगतान करके सेवाएं प्रदान करते हैं।

अरब, सऊदी अरब में अपने प्रवास के दौरान भोजन की व्यवस्था और उपलब्ध कराना, सऊदी अरब में परिवहन के लिए भुगतान करना और सऊदी रियाल के रूप में विदेशी मुद्रा प्रदान करना। जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद पी. दातार द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया है, हज यात्रा करने के इच्छुक सभी मुस्लिम भक्तों को सऊदी अरब में तवाफा प्रतिष्ठान के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। जैसे ही हज तीर्थयात्री सऊदी अरब साम्राज्य में उतरते हैं, उनका पूरा आंदोलन तवाफा प्रतिष्ठान और इसके एजेंटों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें माओलिम्स के नाम से जाना जाता है। हज समिति के माध्यम से हज यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को हज समिति द्वारा इसी तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने बताया, एच. जी. ओ. काबा के पास एक स्थान पर बेहतर आवास प्रदान करते हैं और भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। हालांकि, हज समिति भोजन की सुविधा के बिना दूर के स्थानों पर आवास प्रदान करती है। 2012 के नियमों का सेवा कर का भुगतान करने की देयता के साथ सीधा संबंध है क्योंकि उक्त नियम सेवा के प्रावधान का स्थान निर्धारित करते हैं। नियम 2 के खंड (एच) और (आई) के तहत 'सेवा प्रदाता के स्थान' और 'सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान' की परिभाषाओं के अलावा, 2012 के उक्त नियमों के नियम 3,4,7,8 और नियम 9 भी प्रासंगिक हैं। नियम 2,4,7,8 और नियम 9 के खंड (एच) और (आई) इस प्रकार हैं:

" 2 (ज) "सेवा प्रदाता का स्थान" का अर्थ है-(क) जहां सेवा प्रदाता ने एकल पंजीकरण प्राप्त किया है, चाहे वह केंद्रीकृत हो या अन्यथा, वह परिसर जिसके लिए ऐसा पंजीकरण किया गया है।

प्राप्त किया गया है;

(ख) जहाँ सेवा प्रदाता उपखंड के अंतर्गत नहीं आता है।

(अ):

– इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

((i) उसके व्यावसायिक प्रतिष्ठान का स्थान; या ((ख) जहां सेवाएँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अलावा किसी अन्य स्थान से प्रदान की जाती हैं, अर्थात, कहीं और एक निश्चित प्रतिष्ठान, ऐसे प्रतिष्ठान का स्थान; या

((iii) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वे व्यवसाय हों या स्थिर, वहां प्रतिष्ठान सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदान करता है।

सेवा के प्रावधान से संबंधित; और

((iv) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, सेवा प्रदाता का सामान्य निवास स्थान।

(i) "सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान" का अर्थ हैः

(ए)। जहां सेवा के प्राप्तकर्ता ने एकल पंजीकरण प्राप्त किया है, चाहे वह केंद्रीकृत हो या अन्यथा, वह परिसर जिसके लिए ऐसा है पंजीकरण प्राप्त किया गया है;

(बी)। जहाँ सेवा का प्राप्तकर्ता उपखंड (क) के अंतर्गत नहीं आता हैः

((i) उसके व्यावसायिक प्रतिष्ठान का स्थान; या

((ख) जहां सेवाओं का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अलावा किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, अर्थात, कहीं और एक निश्चित प्रतिष्ठान, ऐसे प्रतिष्ठान का स्थान; या

((ग) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों में सेवाओं का उपयोग किया जाता है, चाहे वे व्यवसाय हों या स्थिर, वह प्रतिष्ठान जो सेवा के उपयोग से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है; और

((iv) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, सेवा प्राप्तकर्ता का सामान्य निवास स्थान।

व्याख्याः - खंड (ज) और (i) के प्रयोजनों के लिए, किसी निगमित निकाय के मामले में "सामान्य निवास स्थान" का अर्थ है वह स्थान जहां

यह निगमित या अन्यथा कानूनी रूप से गठित है।

व्याख्या 2: - खंड (i) के प्रयोजन के लिए, दूरसंचार सेवा के मामले में, निवास का सामान्य स्थान बिलिंग पता होगा।

" 3. आम तौर पर प्रावधान का स्थान -

एक सेवा सेवा के प्राप्तकर्ता का स्थान होगाः

बशर्ते कि "ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं के मामले में" (अधिसूचना 46/2012-सेवा कर के माध्यम से सम्मिलित) जहां [2022] 17 एस. सी. आर. का स्थान है।

सेवा प्राप्तकर्ता व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध नहीं है,

प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा। 4. प्रदर्शन आधारित सेवाओं के प्रावधान का स्थान। निम्नलिखित सेवाओं के प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा जहाँ सेवाएं वास्तव में की जाती हैं, अर्थात्:

(क) उन वस्तुओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएं जिन्हें सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को या सेवा प्रदाता की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को सेवा प्रदान करने के लिए भौतिक रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है:

बशर्ते कि जब ऐसी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से किसी दूरस्थ स्थान से प्रदान की जाती हैं, तो प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा जहां सेवा के प्रावधान के समय माल स्थित होता है: बशर्ते कि यह खंड उन वस्तुओं के संबंध में प्रदान की गई सेवा के मामले में लागू नहीं होगा जो मरम्मत के लिए भारत में अस्थायी रूप से आयात की जाती हैं और जो कर योग्य क्षेत्र में किसी भी उपयोग के बिना मरम्मत के बाद निर्यात की जाती हैं।

ऐसी मरम्मत के लिए आवश्यक है; (ख) सेवा के प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसके लिए सेवा के प्रावधान के लिए प्रदाता के साथ प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

7. एक से अधिक स्थानों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्थान। - जहां नियम 4,5 या 6 में निर्दिष्ट कोई भी सेवा एक से अधिक स्थानों पर प्रदान की जाती है, जिसमें कर योग्य स्थान भी शामिल है।

राज्यक्षेत्र, इसके प्रावधान का स्थान कर योग्य में स्थान होगा वह क्षेत्र जहाँ सेवा का सबसे बड़ा अनुपात प्रदान किया जाता है।

8. सेवाओं के प्रावधान का स्थान जहां प्रदाता और प्राप्तकर्ता कर योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। - प्रावधान का स्थान

किसी सेवा का, जहां सेवा प्रदाता के साथ-साथ सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान कर योग्य क्षेत्र में है, सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

9. निर्दिष्ट सेवाओं के प्रावधान का स्थान। - निम्नलिखित सेवाओं के प्रावधान का स्थान सेवा का स्थान होगा।

प्रदाता:

– इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई V. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

(क) बैंकिंग कंपनी या वित्तीय कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

खाताधारकों को संस्था या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी;

की तुलना में - ((i) विमान, और

((ii) नौकाओं को छोड़कर जहाज

एक महीने की अवधि तक।

(जोर दिया गया)

हम यहां आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं। उप.

धारा 2 की धारा (14) और (15) निम्नानुसार हैं:

" (14) सेवाओं के प्राप्तकर्ता के स्थान का अर्थ है,

(क) जहाँ व्यवसाय के किसी स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे स्थान का स्थान

((ख) जहां आपूर्ति के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्राप्त होती है। व्यवसाय जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (एक निश्चित

अन्य जगह की स्थापना), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान;

(ग) जहाँ एक से अधिक प्रतिष्ठानों में आपूर्ति प्राप्त होती है, चाहे व्यवसाय का स्थान हो या निश्चित प्रतिष्ठान, स्थान

प्राप्ति से सबसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रतिष्ठान का

आपूर्ति; और

(घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, सामान्य स्थान का स्थान

प्राप्तकर्ता का निवास;

(15) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के स्थान का अर्थ है,

(क) जहाँ किसी व्यवसाय के स्थान से आपूर्ति की जाती है जिसके लिए

पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे स्थान का स्थान

व्यवसाय;

((ख) जहां आपूर्ति स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से की जाती है।

व्यवसाय जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (एक निश्चित

अन्यत्र स्थापना), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान; [2022] 17 एस. सी. आर.

(ग) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों से आपूर्ति की जाती है, चाहे वह व्यवसाय का स्थान हो या निश्चित प्रतिष्ठान, वहां उस प्रतिष्ठान का स्थान जो आपूर्ति के प्रावधान से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है; और

(घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 12 और 13 इस प्रकार हैः

धारा 12. सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहाँ

आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता भारत में हैं, (1) इस धारा के प्रावधान सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए लागू होंगे जहां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान और सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में है।

व्यक्ति; (ख) पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया होगा -

((ii) अन्य मामलों में सेवा प्रदाता का स्थान। (3) सेवाओं की आपूर्ति का स्थान,

अचल संपत्ति के उपयोग के अधिकारों के अनुदान के माध्यम से या निर्माण कार्य को पूरा करने या समन्वय के लिए; या (ख) किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, होम स्टे, क्लब या कैम्पसाइट द्वारा आवास के माध्यम से, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, और जिसमें हाउस बोट या कोई अन्य जहाज शामिल हो; या

(ग) किसी भी विवाह या स्वागत समारोह या उससे संबंधित मामलों के आयोजन के लिए किसी भी अचल संपत्ति में आवास के माध्यम से, ऐसी संपत्ति में ऐसे समारोह के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित आधिकारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या व्यावसायिक समारोह; या-भारत हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v.

(घ) खंडों में निर्दिष्ट सेवाओं के लिए कोई सहायक सेवाएँ। (क), (ख) और (ग), वह स्थान होगा जहाँ अचल संपत्ति रखी जाएगी।

संपत्ति या नाव या पोत, जैसा भी मामला हो, स्थित है या स्थित होने का इरादा है:

बशर्ते कि यदि अचल संपत्ति या नाव या पोत का स्थान स्थित है या भारत के बाहर स्थित होने का इरादा है, तो आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

इस संबंध में किए गए अनुबंध या समझौते के संदर्भ में अलग से एकत्र या निर्धारित किया गया है या, इस तरह के अभाव में अनुबंध या समझौता, ऐसे अन्य आधार पर जो निर्धारित किया जाए।

(4) रेस्तरां और खानपान सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, व्यक्तिगत सौंदर्य, स्वास्थ्य, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा सहित कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी वह स्थान होगा जहाँ वास्तव में सेवाएँ की जाती हैं।

(5) प्रशिक्षण और निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान -

(क) एक पंजीकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का स्थान होगा;

(ख) पंजीकृत व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वह स्थान होगा जहाँ वास्तव में सेवाएँ की जाती हैं।
(6) सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल, वैज्ञानिक, शैक्षिक, मनोरंजन में प्रवेश के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति का स्थान

(क) एक सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल, वैज्ञानिक, शैक्षिक या मनोरंजन कार्यक्रम का संगठन जिसमें सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है। सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी, उत्सव या इसी तरह के कार्यक्रम; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी कार्यक्रम या सेवा के संगठन के लिए सहायक सेवाएँ, या उन्हें प्रायोजन सौंपना।

((i) किसी पंजीकृत व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति का स्थान होगा;

((ii) पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, वह स्थान होगा जहाँ वास्तव में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और यदि कार्यक्रम भारत के बाहर आयोजित किया जाता है, तो आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होगा। स्पष्टीकरण। जहां कार्यक्रम एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाता है और ऐसी घटना से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक समेकित राशि ली जाती है, तो ऐसी सेवाओं की आपूर्ति का स्थान अनुबंध या समझौते के संदर्भ में अलग से एकत्र या निर्धारित सेवाओं के मूल्य के अनुपात में संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक में माना जाएगा।

इस संबंध में या ऐसे अनुबंध या समझौते के अभाव में, ऐसे अन्य आधार पर किया गया जो निर्धारित किया जाए।

(8) डाक या कूरियर सहित माल के परिवहन के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, (क) एक पंजीकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का स्थान होगा;

(ख) पंजीकृत व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, स्थान होगा। जिस पर ऐसे माल को उनके परिवहन के लिए सौंपा जाता है।

[बशर्ते कि जहां माल का परिवहन भारत के बाहर किसी स्थान पर होता है, वहां आपूर्ति का स्थान ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा।]

(9) यात्री परिवहन सेवा की आपूर्ति का स्थान

को,

(क) एक पंजीकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का स्थान होगा;

(ख) पंजीकृत व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होगा -

वह स्थान जहाँ यात्री निरंतर यात्रा के लिए परिवहन पर निकलता हैः

बशर्ते कि जहां भविष्य में उपयोग के लिए मार्ग का अधिकार दिया गया है और मार्ग के अधिकार के जारी होने के समय जहाज पर चढ़ने का स्थान ज्ञात नहीं है, वहां ऐसी सेवा की आपूर्ति का स्थान होगा -

उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, वापसी यात्रा को एक अलग यात्रा के रूप में माना जाएगा, भले ही आगे और वापसी यात्रा के लिए मार्ग का अधिकार एक ही समय में जारी किया गया हो।

(10) किसी वाहन पर सेवाओं की आपूर्ति का स्थान,

एक पोत, एक विमान, एक ट्रेन या एक मोटर वाहन सहित, उसके प्रस्थान के पहले निर्धारित बिंदु का स्थान होगा। यात्रा के लिए परिवहन।

– इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई V. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

(11) किसी भी व्यक्ति को डेटा हस्तांतरण, प्रसारण, केबल और डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं की आपूर्ति का स्थान,

(क) निश्चित दूरसंचार लाइन, पट्टे पर दिए गए सर्किट, इंटरनेट पट्टे पर दिए गए सर्किट, केबल या डिश एंटीना के माध्यम से सेवाओं के मामले में, वह स्थान हो जहां सेवाओं की प्राप्ति के लिए दूरसंचार लाइन, पट्टे पर दिए गए सर्किट या केबल कनेक्शन या डिश एंटीना स्थापित किया गया हो;

(ख) भुगतान के बाद प्रदान की जाने वाली दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के लिए मोबाइल कनेक्शन के मामले में, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता के बिलिंग पते का स्थान होना चाहिए।

(i) विक्रेता अभिकर्ता या पुनर्विक्रेता या अभिदाता के वितरक के माध्यम से पहचान मॉड्यूल कार्ड या री-चार्ज वाउचर, बिक्री एजेंट या री-सेलर या वितरक का पता हो।

आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता; या

((ii) किसी भी व्यक्ति द्वारा अंतिम अभिदाता के लिए, वह स्थान हो जहाँ

इस तरह का पूर्व भुगतान प्राप्त होता है या ऐसे वाउचर बेचे जाते हैं;

(घ) अन्य मामलों में, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड के अनुसार प्राप्तकर्ता का पता हो और जहां ऐसा पता उपलब्ध नहीं है, आपूर्ति का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान होगाः

बशर्ते कि जहां प्राप्तकर्ता का पता के अनुसार

बशर्ते कि यदि ऐसी पूर्व-भुगतान सेवा का लाभ उठाया जाता है या पुनर्भरण इंटरनेट बैंकिंग या भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, तो सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान ऐसी सेवाओं की आपूर्ति का स्थान होगा। स्पष्टीकरण। — जहां पट्टे पर दिया गया परिपथ एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित है और ऐसे परिपथ से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक समेकित राशि ली जाती है, ऐसी सेवाओं की आपूर्ति का स्थान संबंधित [2022] 17 एस. सी. आर. में से प्रत्येक में माना जाएगा।

अनुबंध के संदर्भ में अलग से एकत्र या निर्धारित सेवाओं के मूल्य के अनुपात में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या इस संबंध में किया गया समझौता या, ऐसे अनुबंध या समझौते के अभाव में, ऐसे अन्य आधार पर जो निर्धारित किया जाए।

(12) किसी भी व्यक्ति को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं सहित बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान होगाः

बशर्ते कि यदि सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड में नहीं है, तो आपूर्ति का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा।

(13) बीमा सेवाओं की आपूर्ति का स्थान होगा -

(क) एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति का स्थान हो;

(ख) पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, का स्थान हो

सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के अभिलेख पर सेवाओं का प्राप्तकर्ता।

(14) केंद्र को विज्ञापन सेवाओं की आपूर्ति का स्थान

सरकार, एक राज्य सरकार, एक सांविधिक निकाय या एक स्थानीय प्राधिकरण जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है

अनुबंध या समझौते को ऐसे प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में माना जाएगा और ऐसी आपूर्ति का मूल्य विशिष्ट होगा।

प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए देय राशि के अनुपात में होगी जो निम्न में निर्धारित की जा सकती है - इस संबंध में किए गए अनुबंध या समझौते की शर्तें या ऐसे अनुबंध या समझौते के अभाव में, ऐसे अन्य आधार पर जो निर्धारित किया जाए।

धारा 13. सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहाँ

(

1) द.

व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध नहीं है, आपूर्ति का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा।

– इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई V. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

बशर्ते कि जब ऐसी सेवाएं किसी दूरस्थ स्थान से प्रदान की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से स्थान, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहाँ आपूर्ति के समय माल स्थित है

सेवाएं:

बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी उन वस्तुओं के संबंध में आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं के मामले में लागू नहीं होगा जो मरम्मत के लिए भारत में अस्थायी रूप से आयात की जाती हैं और भारत में किसी अन्य उपयोग के लिए रखे बिना मरम्मत के बाद निर्यात की जाती हैं, जो ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। (ख) सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में या प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसके लिए प्राप्तकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, सेवाओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ।

(4) किसी अचल संपत्ति के संबंध में सीधे आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, जिसमें विशेषज्ञों और संपत्ति एजेंटों द्वारा इस संबंध में आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं, किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब या शिविर स्थल द्वारा आवास की आपूर्ति, जो भी नाम से जाना जाए, अचल संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का अनुदान, या करने के लिए सेवाएं या

(6) जहां उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट किसी सेवा की आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र में किसी स्थान सहित एक से अधिक स्थानों पर की जाती है, वहां उसकी आपूर्ति का स्थान कर योग्य क्षेत्र में स्थित हो।

(7) जहाँ उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती है, वहाँ ऐसी सेवाओं की आपूर्ति का स्थान इस प्रकार लिया जाएगाः

प्रत्येक संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में होने के नाते और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशिष्ट ऐसी आपूर्ति का मूल्य इस संबंध में किए गए अनुबंध या समझौते के संदर्भ में अलग से एकत्र या निर्धारित सेवाओं के मूल्य के अनुपात में होगा या, ऐसे अनुबंध या समझौते के अभाव में, ऐसे अन्य आधार पर होगा जो निर्धारित किया जाए।

(8) निम्नलिखित सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा, अर्थात्ः

(क) "खाता" से जमाकर्ता को ब्याज देने वाला खाता अभिप्रेत है, और इसमें एक गैर-निवासी बाहरी खाता और एक गैर-निवासी सामान्य खाता शामिल है; (ख) "बैंकिंग कंपनी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ए के खंड (ए) के तहत उसे सौंपा गया है।

(ग) "वित्तीय संस्थान" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-I के खंड (ग) में दिया गया है।

(घ) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" का अर्थ है -

((i) एक वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी है।

((ii) एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी है और जिसका प्रमुख व्यवसाय किसी भी प्रावधान के तहत जमा प्राप्त करना है।

योजना या व्यवस्था या किसी अन्य तरीके से, या किसी भी तरह से ऋण देना।

तरीका; या-इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

((ग) ऐसी अन्य गैर-बैंकिंग संस्था या ऐसी संस्थाओं का वर्ग, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

यात्री परिवहन संचालन के दौरान परिवहन, जिसमें सवार होने के दौरान पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से उपभोग की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं, यात्रा के लिए उस परिवहन के प्रस्थान का पहला निर्धारित बिंदु होगा। (12) ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस पहुँच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में स्थित माना जाएगा, यदि निम्नलिखित में से कोई भी दो गैर-विरोधाभासी शर्तें हों।

संतुष्ट हैं, अर्थात्: —

(क) इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत पते का स्थान कर योग्य क्षेत्र में है;

(बी) क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या स्टोर वैल्यू कार्ड या चार्ज कार्ड या स्मार्ट कार्ड या कोई अन्य कार्ड जिसके द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता भुगतान का निपटारा करता है, कर योग्य क्षेत्र में जारी किया गया है;

(ग) सेवाओं के प्राप्तकर्ता का बिलिंग पता कर योग्य क्षेत्र में है;

(घ) सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता कर योग्य क्षेत्र में है;

(ङ) सेवाओं के प्राप्तकर्ता का बैंक जिसमें भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला खाता रखा जाता है, कर योग्य क्षेत्र में है;

(च) सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभिदाता पहचान मॉड्यूल कार्ड का देश कोड कर योग्य क्षेत्र का है; [2022] 17 एस. सी. आर.

किसी सेवा की आपूर्ति, या नियमों के समान अनुप्रयोग के लिए, सरकार के पास किसी भी विवरण को अधिसूचित करने की शक्ति होगी -

सेवाएँ या परिस्थितियाँ जिनमें आपूर्ति का स्थान होगा

किसी सेवा के प्रभावी उपयोग और आनंद का स्थान।

(जोर दिया गया)

39. 2012 के नियमों के प्रावधान और प्रासंगिक प्रावधान

आई. जी. एस. टी. अधिनियम काफी हद तक समान सामग्री है। जहां तक इस मामले में सेवा प्रदाताओं (एच. जी. ओ.) के स्थान का संबंध है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उन सभी को सेवा कर नियम, 1994 के नियम 4 के तहत पंजीकृत किया जाना है और इसलिए नियम 2 के खंड (एच) के उपखंड (ए) के अनुसार, एच. जी. ओ. का स्थान वह परिसर होगा जिसके लिए पंजीकरण किया गया है।

एच. जी. ओ. को दिया गया। इस तरह के परिसर अनिवार्य रूप से भारत में हैं। यह मानते हुए भी कि खंड (एच) के कोई अन्य उपखंड लागू होते हैं, सेवा प्रदाता का स्थान, इस मामले में, भारत में होगा। जहाँ तक नियम 2 के खंड (i) के तहत सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान का संबंध है, इस मामले में सेवा प्राप्तकर्ता हज तीर्थयात्री है जो स्पष्ट रूप से पंजीकृत नहीं है।

अतः खंड (i) के उपखंड (क) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। नियम 2 के खंड (i) के उपखंड (b) में चार श्रेणियां सूचीबद्ध हैं। पहली श्रेणी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की है। दूसरी श्रेणी उन सेवाओं की है जिनका उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अलावा किसी अन्य स्थान पर किया जाता है। तीसरी श्रेणी वह है जहाँ एक से अधिक सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

स्थापना। इसके बावजूद, एच. जी. ओ. के माध्यम से हज तीर्थयात्रा करने वाले हज तीर्थयात्रियों के मामले इन तीन श्रेणियों में शामिल नहीं होंगे। उन पर जो लागू होता है वह चौथी श्रेणी है जो सेवा प्राप्तकर्ता का सामान्य निवास स्थान है। यह वह स्थान नहीं है जहाँ सेवा प्राप्तकर्ता सेवा प्राप्त करता है या सेवा प्रदान की जाती है। यह सेवा प्राप्तकर्ता का सामान्य निवास स्थान है जो इस मामले में कर योग्य क्षेत्र में होगा। जैसा कि नियम 3 में दिया गया है, सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान है। इस मामले में, एच. जी. ओ. से सेवा प्राप्त करने वाले भारतीय निवासी हैं और तदनुसार, भारत में उनका निवास स्थान सेवा के प्रावधान का स्थान होगा। नियम 8 में प्रावधान है कि जहां सेवा प्रदाता के साथ-साथ सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान कर योग्य क्षेत्र में है, वहां सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान है। इसलिए, इस मामले में, सेवा के प्रावधान का स्थान अखिल भारतीय हज उमराह टूर संगठन मुंबई v का स्थान है।

नियम 2 के खंड (i) के अनुसार सेवा प्राप्तकर्ता जो कर योग्य क्षेत्र में होगा।

40. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा नियम 4, विशेष रूप से उसके खंड (बी) पर निर्भरता रखने की मांग की गई थी। नियम 4 लागू होता है

प्रदर्शन आधारित सेवा जो यह प्रावधान करती है कि उक्त नियम में निर्धारित दो सेवाओं के प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा जहां वास्तव में सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है। नियम 4 का खंड (ए) उन वस्तुओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होता है जो स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगी। याचिकाकर्ता नियम 4 के खंड (बी) पर भरोसा कर रहे हैं। नियम 4 के शीर्षक से पता चलता है कि यह प्रदर्शन आधारित सेवाओं पर लागू होता है। एच. जी. ओ. प्रदर्शन की प्रकृति को देखते हुए प्रदर्शन आधारित सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।

इस प्रकार, एच. जी. ओ. द्वारा कर योग्य क्षेत्र के भीतर हज तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान की जाती है। इस तरह से चार्जिंग सेक्शन लागू होगा। 41. यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि हज तीर्थयात्रा नियम 6 के अंतर्गत आने वाली एक घटना होगी, जो इस प्रकार हैः

" नियम 6. घटनाओं से संबंधित सेवाओं के प्रावधान का स्थान।

किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल, वैज्ञानिक, शैक्षिक या मनोरंजन कार्यक्रम या उत्सव, सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी या इसी तरह के कार्यक्रमों में प्रवेश या आयोजन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान का स्थान और इस तरह के प्रवेश के सहायक सेवाओं का स्थान वह स्थान होगा जहां कार्यक्रम वास्तव में आयोजित किया जाता है।

धार्मिक समारोह और धार्मिक कार्य नियम 6 के दायरे में नहीं आते हैं। 'समान घटनाएँ' शब्दों का अर्थ एजुस्देम से लगाया जाना चाहिए।

सामान्य। इसलिए, हज तीर्थयात्रा एक घटना नहीं हो सकती है।

42. भले ही हम यह मान लें कि हज तीर्थयात्रियों को एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा परिवहन सेवा है, 2012 के नियमों के नियम 9 के आधार पर, सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (10) को ध्यान में रखते हुए, सेवा की आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहाँ से यात्री प्रस्थान करेगा।

43. 2012 के उक्त नियमों के नियम 2 के खंड (i) के उपखंड (b) के मद (iv) के अनुसार, सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा - भारत में हज तीर्थयात्री का सामान्य निवास स्थान। इसलिए, हज तीर्थयात्रियों को एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पर [2022] 17 एस. सी. आर. के रूप में सेवा कर लगाया जाता है।

हज तीर्थयात्रियों को सेवा कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की जाती है या प्रदान करने के लिए सहमत किया जाता है। यह सेवा हज तीर्थ यात्रा पैकेज प्रदान करके या प्रदान करने के लिए सहमत होकर प्रदान की जाती है।

44. हम यहां दोहरा सकते हैं कि जैसा कि दलीलों के दौरान पक्षों द्वारा अनुरोध किया गया था, हम सेवा कर से संबंधित कानूनों के अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन के मुद्दे में नहीं जा रहे हैं और उक्त मुद्दे को खुला छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि 2012 के नियमों की वैधता के मुद्दे पर भी मौखिक प्रस्तुतियों के समय गंभीरता से प्रचार नहीं किया गया है। एक रिट याचिका में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के उल्लंघन का आधार बिना इसे साबित करने का प्रयास किए भी लिया गया है। 45. याचिकाकर्ताओं ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स और Ors.[3] के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है और

उच्च न्यायालय और सी. ई. एस. टी. ए. टी. के कुछ निर्णय। उक्त निर्णय 1 जुलाई, 2012 से पहले की तथ्य स्थिति पर लागू होते हैं जब नकारात्मक कर व्यवस्था लागू थी। बलपूर्वक नहीं। हम इन मामलों में नकारात्मक सेवा कर व्यवस्था से चिंतित हैं जो 1 जुलाई 2012 से शुरू हुई थी। इसलिए इन मामलों में ऐसा नहीं होगा।

छूट अधिसूचना की प्रयोज्यता

46. सवाल यह है कि क्या मेगा छूट अधिसूचना के तहत दी गई छूट इस मामले में लागू होगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है,

जहां तक हज तीर्थयात्रा का संबंध है, आई. जी. एस. टी. और जी. एस. टी. अधिनियमों के तहत छूट अधिसूचनाएं मेगा छूट अधिसूचना के समान हैं। इसलिए, मेगा छूट अधिसूचना के लिए विज्ञापन देना आवश्यक है। मेगा छूट अधिसूचना में उन सेवाओं की सूची है जिन्हें धारा 66 बी के तहत सेवा कर से छूट दी गई है। इस मामले में, खंड 5 और 5 ए को याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाया जाता है जो इस प्रकार हैः

" 5. किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सेवाएँ

(क) आय-कर अधिनियम, 1961 (इसके बाद आय-कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 12 एए के तहत एक धर्मार्थ या धार्मिक न्यास के रूप में पंजीकृत किसी संस्था के स्वामित्व या प्रबंधन वाले आम जनता के लिए किसी धार्मिक स्थान के परिसर या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (वी) के तहत पंजीकृत किसी न्यास या संस्था या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 बीबीए) के तहत आने वाले किसी निकाय या प्राधिकरण को किराए पर देना; अधिसूचना 40/2016-सेवा कर के माध्यम से प्रतिस्थापित; या अखिल भारतीय हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v.

5ए. एक के संबंध में एक निर्दिष्ट संगठन द्वारा सेवाएं विदेश मंत्रालय द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा

भारत सरकार के मामले, द्विपक्षीय मामलों के तहत

व्यवस्था; '

(जोर दिया गया)

47. ऐसा प्रतीत होता है कि खंड 5ए का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह लागू होता है

द्वैपाक्षिक व्यवस्था के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में निर्दिष्ट संगठनों द्वारा की जाने वाली सेवाओं के लिए। निर्दिष्ट संगठन हैं

मेगा छूट अधिसूचना के पैराग्राफ 1 (1) (ए) (जेडएफए) में परिभाषित किया गया है। निर्दिष्ट संगठन, जैसा कि उसमें कहा गया है, केवल दो श्रेणियां हैं -

संगठन। पहला है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, जो 2002 के उक्त अधिनियम के तहत उत्तराखंड सरकार का उपक्रम और हज समिति या राज्य समिति है। हज समिति हज तीर्थयात्रा के संबंध में सेवाएं प्रदान करती है जिसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय के तहत सुविधा प्रदान की जाती है।

सऊदी अरब साम्राज्य के साथ व्यवस्था।

48. इस तर्क के समर्थन में कि मेगा का खंड 5 (बी)

छूट अधिसूचना लागू है, श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने पूरी निष्पक्षता के साथ बताया कि सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) मुंबई बनाम दिलीप कुमार और

कंपनी और इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि छूट अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और छूट अधिसूचना में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जानी चाहिए। पैराग्राफ 66 में और विशेष रूप से 66.1 से 66.3 तक दिलीप कुमार और कंपनी के मामले में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 66.1 . छूट अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।

प्रयोज्यता साबित करने का भार निर्धारिती पर होगा

यह दिखाने के लिए कि उसका मामला मानदंडों के भीतर आता है

छूट खंड या छूट अधिसूचना। 66.2 . जब छूट अधिसूचना में अस्पष्टता हो

जो सख्त व्याख्या के अधीन है, ऐसे लाभ

विषय/निर्धारिती द्वारा अस्पष्टता का दावा नहीं किया जा सकता है और यह राजस्व के पक्ष में व्याख्या की जानी चाहिए।

66.3 . सूर्य निर्यात निर्यात मामले में अनुपात [सूर्य निर्यात] कॉर्प. वी. सीमा शुल्क कलेक्टर, (1997) 6 एस. सी. सी. 564] सही नहीं है

और सभी निर्णय जिन्होंने सन एक्सपोर्ट के समान दृष्टिकोण अपनाया मामला [सन एक्सपोर्ट कार्पोरेशन। वी. सीमा शुल्क कलेक्टर (1997) 6 एस. सी. सी.

564] खारिज कर दिया जाता है "।

(जोर दिया गया)

49. लेकिन श्री दातार ने आग्रह किया कि कब छूट फायदेमंद होगी।

उद्देश्यों के लिए, एक अलग नियम लागू होगा। केरल सरकार और अन्र के मामले में। वी. मदर सुपीरियर एडोरेशन कॉन्वेंट 2 पर श्री ने भरोसा किया दातार, इस न्यायालय ने सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) मुंबई बनाम के मामले में अपने निर्णय का उल्लेख किया। एम. अंबालाल एंड कंपनी 2 1 ने अभिनिर्धारित किया कि एम. अंबालाल एंड कंपनी 2 1 के मामले में निर्धारित कानून को संविधान पीठ द्वारा बाधित नहीं किया गया है।

दिलीप कुमार एंड कंपनी 20 का मामला। पैराग्राफ 23 में, मदर सुपीरियर एडोरेशन कॉन्वेंट 2 के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 23. इसी तरह, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत भी, इस न्यायालय ने आदेश में कहा।

सीमा शुल्क बनाम। एम. अंबालाल एंड कंपनी [कॉम. सीमा शुल्क बनाम। एम.

अंबालाल एंड कंपनी, (2011) 2 एस. सी. सी. 74] ने दोनों के बीच स्पष्ट अंतर किया।

छूट जिनकी सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए

लाभकारी छूट जिनका अपना उद्देश्य है-प्रोत्साहन

या कुछ गतिविधियों को बढ़ावा देना। इस मामले ने सम्मानपूर्वक कहा कि

कानून इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 80, पैरा 16)

" 16. यह तय किया गया कानून है कि अधिसूचना को समग्र रूप से पढ़ना होगा। यदि अधिसूचना में निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है,

पार्टी उस अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं है। द.

आम तौर पर सख्ती से व्याख्या की जाती है लेकिन लाभकारी छूट प्रोत्साहन या संवर्धन के रूप में उनका उद्देश्य होना

कुछ गतिविधियों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। यह समग्र नियम किसी विशेष निर्णय में नहीं कहा गया है

इतने सारे शब्द। वास्तव में, अधिकांश निर्णय इस बात पर जोर देते हैं

कि छूटों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए जबकि कुछ

एक-दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन यह केवल स्पष्ट है। ए. गहन जांच से पता चलेगा कि कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं है

21 2011 (2) एस. सी. सी. 74-इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

निर्णयों के बीच। विचारों का संश्लेषण है

काफी स्पष्ट रूप से कि सामान्य नियम सख्त व्याख्या है जबकि लाभकारी और प्रचार छूट के मामले में विशेष नियम उदार व्याख्या है। दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से चलते हैं क्योंकि वे दो अलग-अलग परिस्थितियों से संबंधित हैं।

(जोर दिया गया)

इसके बाद, पैराग्राफ 25 में, इस न्यायालय ने दिलीप आर एंड कंपनी 20 के मामले में संविधान पीठ के फैसले के चींटी भाग का उल्लेख किया और उद्धृत किया। पैराग्राफ 26 और 27 में, यह न्यायालय आगे बढ़ा।

एलडी इस प्रकारः

" 26. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पाँच-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। सीमा शुल्क बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी, (2018) 9 एस. सी. सी. 1] ने प्राधिकरण की उस रेखा का उल्लेख नहीं किया जो आम तौर पर छूट के प्रावधानों और छूट के प्रावधानों के बीच अंतर करती है।

जिनका एक लाभकारी उद्देश्य है। हम श्री से सहमत नहीं हो सकते।

गुप्ता का यह तर्क कि निर्णयों की रेखा को शांत करना आवश्यक है

(क्विन वी. देखें। लीथेम [क्विन बनाम। लीथेम, 1901 ए. सी. 495 (एच. एल.)] जैसा कि उड़ीसा राज्य बनाम में अनुसरण किया गया है। सुधांशु शेखर मिश्रा [उड़ीसा राज्य बनाम। सुधांशु शेखर मिश्रा, (1968) 2 एससीआर 154: ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 647], एस. सी. आर. पीपी. 162-63 : पीपी पर एयर। 651-52 , पैरा 13)। 27. यह मामला होने के नाते, यह स्पष्ट है कि फायदेमंद

धारा 3 (1) (बी) में निहित छूट का उद्देश्य आवश्यक है

पूर्ण प्रभाव दिया जाए, प्राधिकरण की रेखा लागू हो रही है इन मामलों के तथ्यों के लिए जो प्राधिकरण की रेखा है

छूटों के विपरीत लाभकारी छूटों से संबंधित आम तौर पर कर कानूनों में। इस मामले में, एक शाब्दिक

हाथ में क़ानून की औपचारिक व्याख्या होनी चाहिए

छोड़ दिया। हमें पहले खुद से पूछना चाहिए कि वस्तु क्या है।

कि यदि इस तरह के निर्माण में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो अस्पष्टता उस चीज़ के पक्ष में होनी चाहिए जिसे छूट दी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नतीजतन, हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए, हम सहमत हैं

विवादित निर्णयों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष [माँ]

सुपीरियर वी। केरल राज्य, 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 578]

अस्पताल (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य, 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 4679]

डिवीजन बेंच और फुल बेंच "।

(जोर दिया गया)

50. याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि खंड (5)

मेगा छूट अधिसूचना में एक लाभकारी छूट शामिल है और इसलिए, इसे उस उद्देश्य के अनुसार समझना होगा जिसे प्राप्त करने की इच्छा है। निवेदन यह है कि चूंकि खंड 5 के निर्माण में अस्पष्टता है, इसलिए जिसके पक्ष में निर्माण को छूट दी गई है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

51. अब, धारा 5 के उपखंड (बी) को देखते हुए, हम पाते हैं कि

किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से सेवाओं के संबंध में छूट दी गई है। इस प्रकार, यह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो स्वाभाविक रूप से सेवा प्रदाता है। उपखंड (बी) तब लागू होता है जब सेवा प्रदाता किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। अधिसूचना में यह नहीं कहा गया है कि सेवा प्राप्तकर्ता को धार्मिक समारोह आयोजित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवा को छूट दी गई है। यह केवल किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवा को छूट देता है।

52. यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसी मेगा का खंड 5 ए

छूट अधिसूचना धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में हज समितियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को छूट प्रदान करती है। इस प्रकार, वही मेगा छूट अधिसूचना 'धार्मिक' के बीच स्पष्ट अंतर करती है।

समारोह 'और' धार्मिक तीर्थयात्रा '। चूंकि हज समितियाँ केवल हज तीर्थयात्रा के संबंध में सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए हज समिति के संबंध में खंड 5 ए में निर्दिष्ट धार्मिक तीर्थयात्रा, हज तीर्थयात्रा है। इस प्रकार, मेगा छूट अधिसूचना दो निर्दिष्ट संगठनों को छूट देती है।

जो धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में सेवाएँ प्रदान करते हैं। खंड 5 ए के तहत यह छूट एच. जी. ओ. पर लागू नहीं होती है क्योंकि एच. जी. ओ. निर्दिष्ट संगठन नहीं हैं। यदि इरादा और उद्देश्य धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सेवा कर छूट प्रदान करना था, तो अधिसूचना में विशेष रूप से ऐसा प्रावधान किया गया होगा। हालाँकि, धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में छूट केवल विदेश

मंत्रालय द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में निर्दिष्ट संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक ही सीमित रही है।

एक द्वीपक्षीय व्यवस्था के तहत भारत सरकार। ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई V में सेवा प्रदान करने वाले किसी अन्य सेवा प्रदाता को छूट प्रदान नहीं की गई है।

धार्मिक तीर्थयात्रा का सम्मान। जबकि, खंड 5 का उपखंड (बी) किसी भी धार्मिक "समारोह" के संचालन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होता है। धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवा और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के बीच एक स्पष्ट अंतर किया गया है।

किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन का तरीका। हम एक व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जो कुछ धार्मिक समारोहों को करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त करता है या उसकी ओर से अनुष्ठान या पूजा। ऐसे मामले में पुजारी एक धार्मिक समारोह आयोजित करके सेवा प्रदान करता है। एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

हज तीर्थयात्रियों को अनुष्ठान/धार्मिक समारोह करने के लिए गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करना है। एच. जी. ओ. द्वारा कोई धार्मिक समारोह या संचालन नहीं किया जाता है। धार्मिक समारोह हज तीर्थयात्रियों या सऊदी अरब साम्राज्य में किसी और द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे अनुसार, खंड 5 के उपखंड (बी) में बिल्कुल कोई अस्पष्टता नहीं है और इसलिए, मदर सुपीरियर एडोरेशन कॉन्वेंट 2 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण को लागू करने का कोई अवसर नहीं है।

53. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दातार का निवेदन था कि हज तीर्थयात्रा में छह संस्थाएं शामिल हैं जिनमें संबंधित शामिल हैं।

सऊदी अरब साम्राज्य के मंत्रालय, भारत सरकार, तवाफा प्रतिष्ठानों, मोलियम ने एच. जी. ओ. और हज तीर्थयात्रियों को मंजूरी दी। उनका निवेदन है कि छूट अधिसूचना के खंड 5 के उपखंड (बी) में उपयोग किए गए शब्द 'व्यक्ति' में शब्द का बहुवचन भी शामिल होगा।

' व्यक्ति '। निवेदन यह है कि एक हज तीर्थयात्री 'व्यक्ति' की श्रेणी में आएगा। हमारे अनुसार, यह निवेदन पूरी तरह से गलत है। खंड 5 में प्रयुक्त 'व्यक्ति' शब्द सेवा प्रदाता को संदर्भित करता है न कि सेवा प्राप्तकर्ता को। यह मानते हुए भी कि कुछ सेवाएं सऊदी अरब साम्राज्य, भारत सरकार, तवाफा प्रतिष्ठानों या भारत से हज तीर्थयात्रियों को माओलिम द्वारा प्रदान की जाती हैं, यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि वे सेवा कर के भुगतान के अधीन नहीं हैं। एच. जी. ओ. सेवा प्रदाता होने पर सेवा कर लगाया जाता है। असली सवाल यह है कि क्या एच. जी. ओ. किसी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, वास्तविक आचरण में एच. जी. ओ. की कोई भूमिका नहीं है

धार्मिक समारोह जो हज तीर्थयात्रा का एक हिस्सा हैं। एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा हवाई बुकिंग प्रदान करने, सऊदी अरब में हज तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करने, सऊदी अरब में रहने के दौरान भोजन की व्यवस्था करने, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने और सऊदी अरब साम्राज्य में तवाफा प्रतिष्ठान के साथ पंजीकरण की व्यवस्था करने के माध्यम से है। 54. एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को दो भागों में विभाजित करने का प्रयास किया गया था। पहला भाग [2022] 17 एस. सी. आर. के संबंध में प्रदान की गई सेवा का है।

हवाई आरक्षण प्रदान करना और विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना। यह प्रस्तुत किया गया था कि इन दोनों वस्तुओं पर सेवा कर या जी. एस. टी. देय होगा और प्रदान की जाने वाली शेष सेवाओं के लिए सेवा कर या जी. एस. टी. देय नहीं होगा क्योंकि प्रदान की जाने वाली सेवाएं कर योग्य क्षेत्र के बाहर हैं। एच. जी. ओ. हज तीर्थयात्रियों को एक ही पैकेज प्रदान करके हज तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करते हैं जिसमें कई भाग होते हैं जैसे कि हवाई आरक्षण करना, विदेशी मुद्रा प्रदान करना और सऊदी अरब में रहने और भोजन की व्यवस्था करना आदि। एच. जी. ओ. हज तीर्थयात्रा से संबंधित सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करते हैं। उन्हें पूरे पैकेज के लिए हज तीर्थयात्रियों से शुल्क मिलता है। ऐसा नहीं है कि एच. जी. ओ. अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्क लेते हैं। व्यापक पैकेज का एक हिस्सा बनाना। पैकेज का केवल एक हिस्सा छूट के लिए नहीं उठाया जा सकता है। दी गई किसी विशेष सेवा को भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सेवा कर लगाने के उद्देश्यों के लिए, प्रदान की गई सेवा को इस तरह से विच्छेदित नहीं किया जा सकता है। हज तीर्थयात्रियों के लिए एच. जी. ओ. द्वारा समग्र रूप से प्रदान की जाने वाली सेवा को ध्यान में रखना होगा। यह इस तथ्य के अलावा है कि एच. जी. ओ. द्वारा प्रस्तुत पैकेज के किसी भी हिस्से में किसी भी धार्मिक समारोह के संचालन के माध्यम से सेवा शामिल नहीं है। इसलिए, हमारे सुविचारित विचार में, मेगा छूट अधिसूचना के खंड 5 के उपखंड (बी) को एच. जी. ओ. द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हम यहां यह भी नोट कर सकते हैं कि खंड 5 के उपखंड (बी) के तहत छूट सेवा प्रदाता के लिए है। हम इसे ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि एक याचिका एक सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा दायर की गई है।

55. भेदभाव के बारे में तर्क पर जाने से पहले, हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि 1 जुलाई 2017 से आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत सेवा कर देय हो गया। यहां तक कि जी. एस. टी. अधिनियम भी उसी तारीख से लागू हुआ। दोनों अधिनियमों के तहत, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर देय है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि उप-अधिनियम में निर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर सेवाओं की आपूर्ति का स्थान

धारा (3) से (13) सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत अंतर-राज्य आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर देय है। जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत, राज्य के भीतर आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) से (13) में से कोई भी इस मामले में लागू नहीं है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 का खंड (14) सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान को परिभाषित करता है। यह प्रावधान 2012 के नियमों के तहत समान परिभाषा के साथ समान सामग्री है। जैसा कि 2012 के नियमों के मामले में है। इसकी चार श्रेणियाँ हैं। हज तीर्थयात्रा के संबंध में एच. जी. ओ. से प्राप्त सेवा चौथी श्रेणी में आती है जो यह बताती है कि ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v.

भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान प्राप्तकर्ता के सामान्य निवास स्थान का स्थान होगा। जी. एस. टी. अधिनियम में भी इसी तरह के प्रावधान हैं, सिवाय इसके कि राज्य के भीतर आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है। इसलिए, जहां तक एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का संबंध है, कोई नहीं है। जी. एस. टी. और आई. जी. एस. टी. अधिनियमों द्वारा लाया गया भौतिक परिवर्तन इस तथ्य को छोड़कर कि सेवा कर इन दोनों कानूनों के तहत प्रभार्य है, न कि वित्त अधिनियम के तहत। इस प्रकार, एच. जी. ओ. भारत में स्थित सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्रदान करते हैं। सेवा प्राप्तकर्ता जो कर योग्य क्षेत्र में स्थित है, उसे हज तीर्थयात्रा के लिए एक पैकेज प्रदान करके सेवा प्रदान की जाती है। इस तरह एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा सेवा कर के लिए कर योग्य है।

भेदभाव के मुद्दे पर ध्यान देना

निर्दिष्ट संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच अधिसूचना और धार्मिक मामलों के संबंध में अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

तीर्थयात्रा।

57. याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा और एच. जी. ओ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में कोई अंतर नहीं है।

हज तीर्थयात्रियों को हज समिति। यह तर्क दिया जाता है कि दोनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति समान है। याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि इस छूट के उद्देश्यों के लिए हज समिति ऐसा नहीं कर सकती है।

अपने आप में एक वर्ग का गठन करें। संक्षेप में, प्रस्तुतिकरण यह है कि दो बराबर को असमान माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या 2002 के अधिनियम के तहत हज समितियों को एक अलग वर्ग के रूप में माना जा सकता है। अनुच्छेद 14 व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है बशर्ते कि यह मनमाना न हो। वर्गीकरण उचित होना चाहिए। वर्गीकरण की अनुमति है बशर्ते कि यह एक बोधगम्य अंतर पर आधारित हो, जिसे एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों को उन लोगों से अलग करना चाहिए जो छूट गए हैं। इसके अलावा, वर्गीकरण का उन उद्देश्यों के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। जबकि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के संदर्भ में इस प्रश्न की जांच करते हैं, यह याद रखना चाहिए कि केवल इस आधार पर कि एच. जी. ओ. और हज समिति दोनों एक ही वर्ग के व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, हज समिति को एक अलग वर्ग के रूप में मानते हुए किए गए वर्गीकरण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। किसी दिए गए मामले में, सेवा प्रदाताओं के विभिन्न वर्ग सेवा प्राप्तकर्ताओं के एक ही वर्ग को एक ही सेवा प्रदान कर सकते हैं। यह, अपने आप में, भेदभाव के बराबर नहीं है। जमीन पर हमला [2022] 17 एस. सी. आर

कर योग्य व्यक्तियों अर्थात् हज समिति और एच. जी. ओ. के संदर्भ में भेदभाव पर विचार करना होगा। धारा 3 के तहत 2002 के अधिनियम के अनुसार, भारतीय हज समिति का गठन किया गया था। इसी तरह, धारा 17 के तहत राज्य हज समितियों का गठन किया गया था। हज समितियों की दोनों श्रेणियां निगमित निकाय हैं, जिनके पास स्थायी उत्तराधिकार और चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण, धारण और निपटान की शक्ति के साथ एक आम मुहर है। धारा 4 निर्धारित करती है कि

भारतीय हज समिति की संरचना और धारा 18 राज्य हज समितियों की संरचना को निर्धारित करती है। धारा 9 हज समिति के कर्तव्यों को निर्धारित करती है, जो इस प्रकार हैः

" 9.समिति के कर्तव्य-(1) समिति के कर्तव्य

बनो।

(i) तीर्थयात्रियों के लिए उपयोगी जानकारी एकत्र करना और प्रसारित करना, और तीर्थयात्रियों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;

((ii) तीर्थयात्रियों को यात्रा पर जाते समय या यात्रा से लौटते समय भारत में उनके ठहरने के दौरान टीकाकरण, टीकाकरण, चिकित्सा निरीक्षण, तीर्थयात्रियों के पास जारी करने और विदेशी मुद्रा सहित सभी मामलों में सलाह देना और उनके साथ संपर्क करना।

ऐसे मामलों में संबंधित स्थानीय अधिकारी;

((ग) संकटग्रस्त तीर्थयात्रियों को राहत देना।

((iv) केंद्र सरकार की मंजूरी से वार्षिक हज योजना को अंतिम रूप देना और व्यवस्थाओं सहित योजना को निष्पादित करना।
हवाई या किसी अन्य माध्यम से यात्रा करने के लिए और मामलों में सलाह देने के लिए

आवास से संबंधित;

(v) समिति के बजट अनुमानों को मंजूरी देना और प्रस्तुत करना।

केंद्र सरकार को कम से कम तीन महीने पहले

अपनी सहमति के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत;

(vi) यात्रा सुविधाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार, रेलवे, हवाई मार्ग और यात्रा एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

तीर्थयात्रियों के लिए;

तीर्थयात्रियों के हित के मामले जो समिति द्वारा इस संबंध में बनाए गए उप-कानूनों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं;

((ix) हज के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो हो सके।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) केंद्र सरकार उपखंड में निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन में समिति को सभी उचित सहायता प्रदान करेगी।

खंड (1) "।

58. 2002 के अधिनियम की धारा 27 के तहत, हज समिति की नीतियों और निर्देशों को लागू करना राज्य समितियों का कर्तव्य है

और निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। हज समिति को सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों पर 2002 के अधिनियम की प्रस्तावना के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य बनाने के लिए समितियों की स्थापना करना है।

हज यात्रा के लिए मुसलमानों के लिए व्यवस्था। अन्यथा एच. जी. ओ. टूर ऑपरेटर होते हैं जो टूर की व्यवस्था करने का व्यवसाय करते हैं। वे खुद को एच. जी. ओ. के रूप में पंजीकृत कराते हैं। जैसा कि धारा 9 से देखा जा सकता है, हज समिति के कार्य केवल तीर्थयात्रियों को हज यात्रा करने में सक्षम बनाने की व्यवस्था करने तक ही सीमित नहीं हैं।

इसका पहला कर्तव्य तीर्थयात्रियों के लिए उपयोगी जानकारी एकत्र करना और प्रसारित करना और तीर्थयात्रियों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना है।

तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को राहत देना हज समिति का कर्तव्य है। तीर्थयात्रियों के कल्याण की देखभाल करना आम तौर पर इसका कर्तव्य है। संकटग्रस्त तीर्थयात्रियों की सहायता करना हज समिति का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कर्तव्यों में से एक केंद्र सरकार की मंजूरी से वार्षिक हज योजना को अंतिम रूप देना और उसे निष्पादित करना है। हज समिति समिति की कार्यवाही को प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। धारा 30 के तहत, केंद्रीय हज कोष बनाना समिति का कर्तव्य है। इसी तरह, धारा 32 के तहत, राज्य समितियां राज्य हज कोष बनाने के लिए बाध्य हैं। केंद्र सरकार के पास हज समिति का पुनर्गठन करने और समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति है। राज्य समितियों के संबंध में राज्य सरकार को भी इसी तरह की शक्ति निहित है। इस प्रकार, हज समितियाँ सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाले वैधानिक निकाय हैं। हज समितियाँ राज्य की अभिकरण और साधन हैं। हज यात्रा के उद्देश्यों के लिए हज तीर्थयात्रियों की यात्राओं की व्यवस्था करने के अलावा, हज समिति को सौंपे गए महत्वपूर्ण वैधानिक कर्तव्य हैं जो हमने ऊपर निर्धारित किए हैं। धारा 30 के खंड (बी) के अनुसार, हज तीर्थयात्रा के प्रदर्शन के लिए तीर्थयात्रियों से एकत्र किया गया धन केंद्रीय हज कोष का एक हिस्सा बन जाता है, जिसका उपयोग केवल धारा 31 के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। धन का उपयोग केवल वेतन देने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और

समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को भत्ते और इसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के आनुषंगिक प्रभारों और खर्चों के भुगतान के लिए

धारा 9. अन्य व्यय केवल [2022] 17 एस. सी. आर. की मंजूरी से ही किया जा सकता है।

केंद्र सरकार। इसलिए, जब हज समिति हज तीर्थयात्रियों को हज तीर्थयात्रा करने के लिए सऊदी अरब साम्राज्य की उनकी यात्रा की व्यवस्था करके सुविधा प्रदान करती है, तो लाभ के उद्देश्य का पूर्ण अभाव होता है। इसके विपरीत, हज समिति द्वारा हज तीर्थयात्रियों से प्राप्त धन वैधानिक कोष में जाता है, जो

बदले में, इसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ हज तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। यहां तक कि हज समिति का बजट भी केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार, हज समिति पर केंद्र सरकार का व्यापक नियंत्रण है। राज्य समितियों पर राज्य सरकारों का समान नियंत्रण है। दूसरी ओर, एच. जी. ओ. के साथ कोई भारी कर्तव्य नहीं जुड़े होते हैं। वे हज तीर्थयात्रियों की सेवा करके लाभ कमाते हैं। पंजीकरण के लिए सख्त शर्तों को छोड़कर, सरकार का एच. जी. ओ. पर कोई नियंत्रण नहीं है।

59. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने भरोसा जताया

रफीक शेख भीकन 1 के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर। उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 और 12 पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैः

" 11. तीर्थयात्री वास्तव में इस सारी व्यवस्था के पीछे का व्यक्ति है।

कई तीर्थयात्रियों के लिए हज जीवन में एक बार की तीर्थयात्रा है और

वे की गई बचत को निकालकर तीर्थयात्रा करते हैं

जीवन भर, कई मामलों में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए। हज इसमें कई भाग होते हैं और उनमें से प्रत्येक को होना चाहिए

एक कठोर, तंग और समयबद्ध अनुसूची में प्रदर्शन किया गया। देय होने की स्थिति में

यात्रा के संबंध में व्यवस्थाओं में किसी भी कुप्रबंधन के लिए सऊदी अरब जाना या सऊदी अरब के अंदर रहना या यात्रा करना

भागों का प्रदर्शन या प्रदर्शन अनुचित तरीके से नहीं किया जाता है तो तीर्थयात्री न केवल अपनी जीवन बचत खो देता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी बचत भी खो देता है।

12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इसके लिए चयन करते समय पी. टी. ओ. के पंजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य और उद्देश्य

व्यावसायिक लाभ लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थयात्री सक्षम हो सकता है अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन बिना किसी के किए करना

कठिनाई, उत्पीड़न या पीड़ा। एक उचित लाभ

पी. टी. ओ. केवल मुख्य उद्देश्य के लिए आकस्मिक है।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, विद्वान वकील ने अनुच्छेद 10 का उल्लेख नहीं किया है

वही निर्णय, जो पी. टी. ओ. एस. द्वारा अर्जित बहुत महत्वपूर्ण लाभ पर ध्यान देता है। पैराग्राफ 10 इस प्रकार हैः

" 10. इन तथ्यों से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि

निजी प्रचालक/यात्रा अभिकर्ताओं के बीच विवाद और

पी. टी. ओ. एस. के रूप में पंजीकरण के संबंध में भारत सरकार

यह वस्तु और उद्देश्य के टकराव से उत्पन्न होता है। अधिकांश के लिए

निजी प्रचालक/यात्रा अभिकर्ता पीटीओएस के रूप में पंजीकरण करते हैं यह मुख्य रूप से अधिक लाभदायक व्यवसाय का सवाल है। इसके तहत

किसी भी पी. टी. ओ. को कम का कोटा नहीं दिया जा सकता है

पचास से अधिक तीर्थयात्री। आम तौर पर, पचास तीर्थयात्रियों का कोटा होगा

मतलब, औसतन और रूढ़िवादी मानकों से, एक लाभ

कोई भी निजी प्रचालक/यात्रा अभिकर्ता, प्राप्त करने में सफल भारत सरकार के साथ पी. टी. ओ. के रूप में पंजीकृत होगा

आसानी से एक और एक में पैंतीस से पचास लाख रुपये कमाते हैं। आधे से दो महीने और फिर आराम से आराम कर सकते हैं

शेष वर्ष बिना किसी बड़े व्यापार के

पी. टी. ओज़ का पंजीकरण, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि आरामदायक, सहज और परेशानी मुक्त यात्रा, ठहराव और

पी. टी. ओ. एस. से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा हज का प्रदर्शन।

(जोर दिया गया)

वास्तव में, पैराग्राफ 12 में जो देखा गया है वह इस संदर्भ में है -

इस न्यायालय के समक्ष विवाद। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 17 से यह देखा जा सकता है कि विवाद पी. टी. ओ. के पंजीकरण के लिए लगाई गई कड़ी शर्तों के बारे में था। पैराग्राफ 12 में दिए गए अवलोकन उसी संदर्भ में हैं। इस न्यायालय ने कहा कि इस तरह की सख्त शर्तों को रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हज तीर्थयात्रियों को उचित सेवा प्रदान की जाए। इस संदर्भ में, उपरोक्त अवलोकन किया गया है कि पी. टी. ओ. के लिए उचित लाभ आकस्मिक है। इन याचिकाओं में एच. जी. ओ. का मामला यह नहीं है कि वे हज

तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करके किसी भी प्रकार का धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं। यह उनका मामला नहीं है कि वे हज तीर्थयात्रियों को पैकेज प्रदान करते हुए कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं। वे लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

60. इस प्रकार, हज समिति एक वैधानिक समिति है जो

हज तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यों को सौंपा गया।

हज समिति के मामले में लाभ का उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित है। हज समिति द्वारा तीर्थयात्रियों से सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त धन 2002 के अधिनियम के तहत बनाए गए एक वैधानिक कोष में जाता है जिसका उपयोग केवल 2002 के अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाना है। वह यह है कि

जब हज तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करने की बात आती है तो हज समिति अपने आप में एक वर्ग का गठन करती है। यह एक अलग वर्ग है जो एच. जी. ओ. से अलग है। इस वर्गीकरण के लिए एक बोधगम्य अंतर है। मेगा छूट अधिसूचना के पैराग्राफ 5 ए में छूट का उद्देश्य धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए सेवा प्रदान करने वाले निर्दिष्ट संगठनों की गतिविधि को बढ़ावा देना है। अधिसूचना में निर्दिष्ट दोनों संगठन वैधानिक संगठन हैं जिन पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण है। इसके अलावा, निर्दिष्ट संगठनों द्वारा भक्तों को दी जाने वाली सेवा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इसलिए, किए गए वर्गीकरण और छूट देकर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच एक संबंध है।

61. विद्वान वरिष्ठ वकील ने एस. के. दत्ता के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को छूट देने वाले आयकर अधिनियम, 1961 के कुछ प्रावधान

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को छूट देते समय, सरकारी कर्मचारियों का वर्ग जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे

लाभों से वंचित कर दिया गया। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि काल्पनिक भेद के आधार पर किया गया वर्गीकरण एक वैध वर्गीकरण नहीं हो सकता है। वैध वर्गीकरण करने के उद्देश्यों के लिए एक उचित और पर्याप्त अंतर होना चाहिए। तथ्यों पर, उक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करेगा।

62. फिटमेंट समिति की बैठक में, वहाँ थे

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श। फिटमेंट समिति के निर्णय/सिफारिश में एच. जी. ओ. और हज समितियों के बीच अंतर करने के वैध कारण हैं। हम भेदभाव की याचिका पर फिटमेंट समिति द्वारा दर्ज किए गए कारणों को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार हैंः

" ग्राउंड 3: जी. एस. टी. छूट [अधिसूचना की एस. एल. संख्या 60 No.12/2017-सी. टी. आर. और क्र. सं. अधिसूचना संख्या 9/2017-आई. टी. आर.] की संख्या 63 केवल उन तीर्थयात्रियों को दी गई है जिनके लिए हज किया जाता है। भारतीय समिति हज/उमराह तीर्थयात्रा का आयोजन करती है।

और उन तीर्थयात्रियों के लिए नहीं जिनके लिए एच. जी. ओ. [पी. टी. ओ.] आयोजन करता है-इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v.

भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

और तीर्थयात्रा का संचालन करता है। यह भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

भारत सरकार द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में एक निर्दिष्ट संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एक द्वैपाक्षिक व्यवस्था, जीएसटी से मुक्त है। निर्दिष्ट संगठन हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम और हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में परिभाषित 'समिति' या 'राज्य समिति'।

हज/उमराह के आयोजन के लिए टूर ऑपरेटर सेवा पर जीएसटी लगाया जाता है।

तीर्थयात्रा यात्रा। जी. एस. टी. छूट केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धार्मिक तीर्थयात्रा की सेवाओं पर ही उपलब्ध है। किसी भी निजी टूर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी धर्म की धार्मिक तीर्थयात्रा की सेवाओं के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा की सेवाओं पर उपलब्ध मौजूदा छूट नहीं है।

" स्पष्टीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात, यह केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए जो समूहबद्ध सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। एक साथ और दूसरों में नहीं जो छूट गए हैं लेकिन उन गुणों [2022] 17 एस. सी. आर.

कानून से। परीक्षा पास करने के लिए, दो शर्तें पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (1) कि वर्गीकरण होना चाहिए

एक समझदार अंतर पर स्थापित, जो अलग करता है

जो दूसरों से एक साथ समूहीकृत हैं, और (2) कि

हज/उमराह करने वाले तीर्थयात्रियों का वर्गीकरण भारतीय हज समिति के माध्यम से तीर्थ यात्राएँ

द्वैपाक्षिक व्यवस्था और उनके माध्यम से दौरा करने वाले

निजी टूर संचालक एक बोधगम्य भिन्नता पर आधारित हैं।

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसके साथ तर्कसंगत संबंध होना

विचाराधीन कानून द्वारा। इसलिए सेवा कर/जी. एस. टी.

किसी निर्दिष्ट संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर छूट

भारत सरकार द्वारा सुगम धार्मिक तीर्थयात्रा का सम्मान

द्वैपाक्षिक व्यवस्था के तहत भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी नहीं हैं संविधान का अनुच्छेद 14।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दौरे के आयोजन और संचालन की सेवा

निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा हज/उमराह तीर्थयात्रियों के लिए कर योग्य है

जीएसटी। यह किसी भी मौजूदा छूट के अंतर्गत नहीं आता है।

जीएसटी। इसलिए, जी. एस. टी. नहीं लगाने या यह स्पष्ट करने का अनुरोध है कि

जी. एस. टी. उस पर देय नहीं है जो स्वीकार्य नहीं है।

जहाँ तक हज की सेवाओं पर जी. एस. टी. से छूट के अनुरोध का संबंध है

और हज समूह संचालकों द्वारा प्रदान किया गया उमराह दौरा [निजी दौरा] प्रचालक], इसकी कोई योग्यता नहीं है। निजी टूर ऑपरेटर

तीर्थयात्रियों को विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक आधार पर ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करना

कौन इसे वहन कर सकता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। का बोझ

कर आपूर्तिकर्ताओं पर नहीं बल्कि प्राप्तकर्ताओं पर है। सेवा.

राजस्व का लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन और क्रेडिट को भी अवरुद्ध करना विकृतियाँ "।

(जोर दिया गया)

अभिलिखित कारण प्रासंगिक बातों पर विचार करने पर आधारित हैं।

आर. एस.

63. के निर्णय पर राजस्व द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई थी

एम. झांगिर भटुशा और अन्य के मामले में न्यायालय।

विषय ऑल इंडिया हज उमराह टूर ऑर्गनाइजेशन मुंबई v. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

यह याचिका सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उप-धारा (2) के तहत सरकार द्वारा पारित एक आदेश था। उक्त आदेश द्वारा, राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्दिष्ट तेलों के आयात को उत्तरदायी बनाया गया था -

केवल 5 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क और सहायक और अतिरिक्त शुल्क से कुल छूट दी गई थी। दूसरी ओर, निजी आयातकों द्वारा समान निर्दिष्ट तेलों के आयात को 12.5% विज्ञापन वेग की दर से सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। इस मामले में यह तर्क देते हुए भेदभाव का आरोप लगाया गया था कि राज्य व्यापार निगम के साथ अलग व्यवहार करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 13 से 15 में, यह

न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 13. पहला, इस तर्क के बारे में कि अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत छूट अधिसूचनाओं में दिए गए दोनों कारण आधारहीन हैं। हमें ऐसा लगता है कि छूट अधिसूचनाओं में दिए गए दो कारण उन अधिसूचनाओं के लिए एक उचित आधार हो सकते हैं। यह हमारे सामने की सामग्री से प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा था, और हालांकि हो सकता है कि उन्होंने एक बोधगम्य गिरावट दिखाई हो

आशंका है कि उतार-चढ़ाव के इतिहास के कारण भविष्य में उनके बढ़ने की संभावना थी। जरूरत है।

घरेलू बाजार की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहता है, और इसलिए आयात को प्रोत्साहन देना पड़ा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कम करके प्रभावित

उन पर लगाए गए सीमा शुल्क की दर। इसमें एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य शामिल था, क्योंकि इन खाद्य तेलों के आयात का विशेष एकाधिकार अब राज्य व्यापार को सौंपा गया था।

निगम। ऐसा प्रतीत होता है कि छूट अधिसूचना जारी करने में सरकार की नीति का वर्चस्व था

इस बात पर विचार करें कि वनस्पति की घरेलू कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि संपूर्ण खाद्य तेल बाजार एक एकीकृत बाजार है, और किसी भी खाद्य तेल या वनस्पति को अलग-थलग करना उचित नहीं है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि वनस्पति निर्माता खाद्य तेल बाजार में एक शक्तिशाली संगठित क्षेत्र का गठन करते हैं और वनस्पति की उच्च कीमत खाद्य तेलों को वनस्पति विनिर्माण इकाइयों में अनधिकृत रूप से स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इसके परिणामस्वरूप खाद्य तेल बाजार में कमी आती है, जिससे अनियमित कीमतें बढ़ती हैं और उपभोक्ता खाद्य तेलों तक पहुंच से वंचित हो जाते हैं। वनस्पति की कीमतों को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता भी थी

आम तौर पर वनस्पति का उपयोग करने वाले लोग अन्य खाद्य [2022] 17 एस. सी. आर.

तेल, इस प्रकार तेल बाजार में असंतुलन पैदा करता है। एक समग्र दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित करना आवश्यक बना दिया कि वनस्पति की घरेलू कीमतें उचित स्तर पर बनी रहें। इन सभी विचारों पर विद्वान महान्यायवादी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, और हम यह नहीं कह सकते कि वे छूट आदेशों में अंतर्निहित नीति से यथोचित रूप से संबंधित नहीं हैं। विद्वान महान्यायवादी का कहना है कि ताकि सरकार के पास बाजार को खिलाने के लिए खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति हो, राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए आयात पर सीमा शुल्क की दर को 5 प्रतिशत तक कम करना वांछनीय और जनहित में माना गया था। अब केंद्र सरकार को संतुष्ट करना होगा, क्योंकि

धारा 25 (2) के तहत संसद द्वारा नियुक्त प्राधिकरण, कि जनहित में विशेष बनाना आवश्यक है

छूट के आदेश। इसने उन कारणों को निर्धारित किया है जिन्होंने इसे आदेश पारित करने के लिए प्रेरित किया। हमारी राय में, उन अधिसूचनाओं में उल्लिखित परिस्थितियाँ नहीं हो सकतीं -

इसे अप्रासंगिक या अनुचित कहा जाता है। यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह उन कारणों की पर्याप्तता पर निर्णय दे। ऐसे मामलों में जहां आदेश पारित करने की आवश्यकता का न्याय करने के लिए कार्यकारी प्राधिकरण को संतुष्टि सौंपी गई है, अदालत के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित हैं और लंबे समय से स्वीकार की गई हैं।

14. यह सच है कि राज्य वाणिज्यिक गतिविधि के क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक व्यापारी के वस्त्र पहनता है और आम तौर पर वह किसी भी अनुकूल व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन प्रस्थान करने का स्पष्ट और अच्छा कारण हो सकता है। पृष्ठभूमि में देखा गया

राज्य व्यापार को एकाधिकार देने के कारण निगम, जो केंद्र के प्रतिनिधि या नामित व्यक्ति के रूप में कार्य करता है

सरकार द्वारा निर्दिष्ट तेलों के आयात में, यह स्पष्ट होगा कि नीतिगत विचारों ने आयात पर रियायती शुल्क लगाकर उस नीति को प्रभावी बनाना आवश्यक बना दिया है। निजी आयातकों के मामले में ऐसी कोई रियायत की आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी मामले में

घटना, केवल 2-12-1978 से पहले विदेशी विक्रेताओं के साथ उनके द्वारा किए गए अनुबंधों पर काम कर रहे हैं।

15. हम इस बात से भी संतुष्ट नहीं हैं कि कोई भी निजी आयातक

यह तय कर लिया है कि उनके आयात पर सीमा शुल्क की दर को देखते हुए उनका व्यवसाय पंगु या बर्बाद हो जाएगा।

हमारे सामने सामग्री किसी भी निष्कर्ष की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं है

उनके हित में। "

(जोर दिया गया)

64. हम इस मामले में बहुमत के विचार को उद्धृत करने के लिए लुभाए जाते हैं।

के. गर्ग बनाम न्यायालय के दृष्टिकोण पर भारत संघ और Ors.22

च मायने रखता है। हम पैराग्राफ 8 को उद्धृत करते हैं:

" 8. समान महत्व का एक अन्य नियम यह है कि संबंधित कानून

आर्थिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अक्षांश

भाषण, धर्म आदि। यह किसी से कम नहीं कहा गया है।

होम्स, जे. की तुलना में, कि विधायिका को अनुमति दी जानी चाहिए

कुछ जोड़ों में खेलते हैं, क्योंकि इसे जटिल से निपटना पड़ता है

जिन समस्याओं का समाधान किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाता है

डॉक्ट्रिनियर या स्ट्रैट-जैकेट सूत्र और यह विशेष रूप से है

आर्थिक मामलों से संबंधित कानून के मामले में सही है, जहाँ, आवश्यक समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

इससे निपटने के लिए, जोड़ों में अधिक खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए

विधायिका के लिए। अदालत को देने के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए

आर्थिक क्षेत्र में विधायी निर्णय के लिए न्यायिक सम्मान

अन्य क्षेत्रों की तुलना में विनियमन जहां मौलिक मानवाधिकार हैं शामिल हैं। यह चेतावनी इससे अधिक सम्मानपूर्वक कहीं नहीं दी गई है।

मोरे वी की तुलना में व्यक्त किया गया। डाउड [351 यू. एस. 457: 1 एल एड 2 डी 1485

(1957)] जहाँ फ्रैंकफर्टर, जे. ने अपनी अनूठी शैली में कहा:

" उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में, वहाँ

विधायी निर्णय का सम्मान। आखिरकार विधायिका सकारात्मक जिम्मेदारी है। अदालतों के पास केवल

नष्ट करने की शक्ति, पुनर्निर्माण करने की नहीं। जब इन्हें जोड़ा जाता है

आर्थिक विनियमन की जटिलता, अनिश्चितता,

त्रुटि का दायित्व, विशेषज्ञों का भ्रमित करने वाला संघर्ष,

और न्यायाधीशों को कितनी बार खारिज किया गया है

घटनाओं द्वारा आत्म-सीमा को मार्ग के रूप में देखा जा सकता है न्यायिक विवेक और संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता "।

न्यायालय को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि "कानून बनाने का निर्देश दिया जाता है -

व्यावहारिक समस्याएं, कि आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील है और जटिल, कि कई समस्याएं एकवचन और आकस्मिक हैं,

कि कानून अमूर्त प्रस्ताव नहीं हैं और अमूर्त से संबंधित नहीं हैं इकाइयाँ और अमूर्त समरूपता द्वारा मापा नहीं जाना है।

(जोर दिया गया)

कर मामलों में छूट देने के मामले में, अक्षांश को करना होगा

निर्णय लेने के लिए दिया जाता है। आखिरकार, यह नीति का भी मामला है। हम पहले ही मान चुके हैं कि निर्दिष्ट संगठनों को एक वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने और निजी टूर ऑपरेटरों को खंड 5 ए के तहत छूट से बाहर रखने का एक तर्कसंगत आधार है। हमें इस मामले में न्यायिक आत्मसंयम दिखाना होगा।

65. इसलिए, हमारा विचार है कि तर्क

भेदभाव के आधार पर कोई सार नहीं है, क्योंकि एच. जी. ओ. और हज समितियाँ बराबर नहीं हैं और वास्तव में, हज समितियाँ अपने आप में एक अलग वर्ग का गठन करती हैं, जो एक तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित है जिसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक संबंध है।

66. इसलिए याचिकाओं में चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।

हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने सेवा कर व्यवस्था के अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन के मुद्दे को नहीं उठाया है, जिसे लागू करने के लिए खुला रखा गया है।

पक्षकारों द्वारा अनुरोध के अनुसार उचित कार्यवाही में निर्णय लिया गया।

67. इसलिए हमारा विचार है कि याचिकाएं इससे रहित हैं।

योग्यता और वे ही, तदनुसार, खारिज कर दिए जाते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

लिखित याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार (सहायकः इराम जान, एलसीआरए)